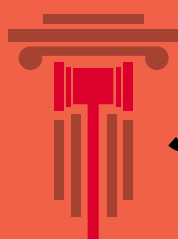


# इंडिया जस्टिस रिपोर्ट



पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता  
की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग

राष्ट्रीय तथ्यपत्र



**India  
Justice**  
Report | 2025

# इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग

2025 में प्रकाशित

**इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR)** नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है।

यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के चार मुख्य स्तंभों— पुलिस, जेल, न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता के साथ ही मानवाधिकार आयोगों— की क्षमता का मूल्यांकन इनके मानव संसाधनों, इंफ़्रास्ट्रक्चर, बजट, कार्यभार और विविधता जैसे पहलुओं के माध्यम से करती है। महत्वपूर्ण यह है कि, IJR पांच साल के आंकड़ों की तुलना करके, यह आकलन करती है कि सरकारें साल दर साल न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास करती हैं। रुझानों का ऐसा विश्लेषण हर राज्य की न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार की इच्छा को पहचानने और इसे वास्तविक ज़रूरतों के अनुरूप देखने में मदद करता है। पुलिस, जेल, क़ानूनी सहायता, न्यायपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोगों के मूल्यांकन के अलावा, IJR का यह संस्करण फॉरेंसिक, मध्यस्थता और विकलांगता की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।

IJR अलग-अलग जगहों पर बिखरे आंकड़ों को एक स्थान पर लाकर नीति निर्माताओं को एक सरल लेकिन विस्तृत उपकरण उपलब्ध कराती है। सभी आंकड़े एक जगह आने से संपूर्ण नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार मिलता है। इसके साथ ही आंकड़ों को बजट, मानव संसाधन, इंफ़्रास्ट्रक्चर, कार्यभार और विविधता में बांटकर उन विषयों की पहचान की जा सकती है जिन पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पर उचित समय पर ध्यान दिया जाए तो समग्र सुधार की श्रृंखला की शुरुआत हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष दानदाताओं, सिविल सोसाइटी और व्यवसायिक समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह अहम साझेदारों को प्रभावशाली समूहों के बीच तथ्यात्मक आंकड़े प्रदान करती है। इसके आधार पर वे अपनी सिफ़ारिशें तैयार कर सकते हैं। यह सरकारों और विभिन्न विचारधाराओं वाले सक्रिय नागरिकों के बीच भागीदारी वाले ऐसे संवाद की गुंजाइश देती है, जो उनकी राय पर आधारित न होकर निष्पक्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। इससे सहमति के साथ सुधार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है।

आखिरकार, न्याय सभी के मतलब की चीज़ है।

अधिक जानकारी के लिए, IJR की वेबसाइट देखें:  
<https://indiajusticereport.org>

कवर डिज़ाइन: नियति सिंह

डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिक्स

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फर्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

रिपोर्ट को ऑनलाइन  
पढ़ने और वेब  
इंटरैक्टिव देखने  
के लिए यह कोड  
स्कैन करें

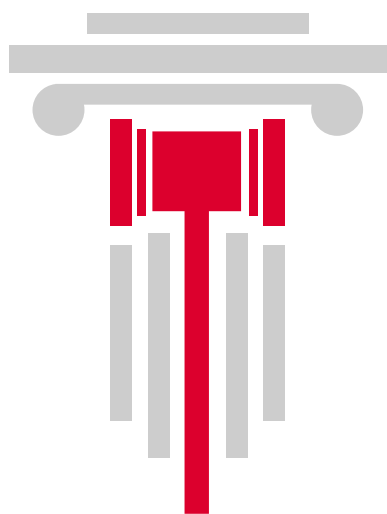


© सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 2025

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। टाटा ट्रस्ट्स और लेखक इस रिपोर्ट में सामान्य तौर पर या रैंकिंग के लिए उपयोग किए गए संदर्भों, जानकारी, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

**संदर्भ सुझाव:** 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता की क्षमता पर राज्यों की रैंकिंग'



# India Justice

## Report | 2025

पुलिस, न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी  
सहायता की क्षमता पर  
**राज्यों की रैंकिंग**

# प्रस्तावना

न्याय प्रदान करने के लिए न केवल ईमानदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि विवादों का समयबद्ध समाधान भी ज़रूरी है, ताकि अदालत तक आने वाले लोगों का न्यायिक संस्थान में विश्वास बना रहे। तकनीक के इस युग में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोग वर्षों और दशकों तक फैसलों का इंतज़ार करेंगे। न्याय में अत्यधिक देरी के कारण नागरिकों को क़ानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत महसूस होने लगती है।

अन्य संस्थानों की तरह न्याय प्रणाली को भी स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था के स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में कार्य करती रही है। यह रिपोर्ट एक कटु और अकाट्य सत्य को उजागर करती है कि हमारी न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था आज भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने से बहुत दूर है। रिपोर्ट की प्रामाणिकता इस बात में निहित है कि यह अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित साक्ष्यों का उपयोग करती है। इस वजह से यह हमारा इस असहज सच से सामना कराती है कि क़ानूनी तौर पर सभी को समान न्याय का वादा अभी भी एक सपना ही है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े हमारी न्याय व्यवस्था के संचालकों के लिए बुनियादी प्रश्न उठाते हैं कि हम कैसे जड़ता के इस चक्र को तोड़कर सुधार की शुरुआत कर सकते हैं?

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि रिपोर्ट से जो मुख्य धारणा उभरती है, वह न्याय व्यवस्था में मौजूद लोगों की आलोचना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को सदमा देने वाली बात है। इसके मुताबिक न्याय व्यवस्था में लंबे समय से ऐसी ज़रूरी क्षमताओं का अभाव बना हुआ है, जो इस व्यवस्था में कार्यरत लोगों की कोशिशों से इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए चाहिए।

अक्सर, इस व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारी उस ढांचे से ही जूझते नज़र आते हैं जिसे संभालने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। सही मायनों में किसी संस्थान की सामर्थ्य व्यक्तियों की क्षणिक प्रतिभा या अस्थायी उपायों पर निर्भर नहीं रह सकती। इसके लिए आम लोगों की क्षमताओं और कौशल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, और उन्हें व्यक्तिगत योगदान से हटकर, एक मज़बूत ढांचे के लिए सहयोग देने के लिए प्रेरित भी किया जाना चाहिए। एक सक्षम न्याय व्यवस्था की प्राथमिकताएं लचीलापन, पूर्वानुमान लगाने में सक्षम और निष्पक्ष होना है। साथ ही, व्यवस्था में असाधारण बहादुरी के उदाहरणों के बजाए

इसका सामान्य रूप से दक्ष होना ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवस्था केवल इच्छाशक्ति और व्यक्तिगत योगदानों पर निर्भर रहने के बजाए, इस तरह से बनी हो कि वह निरंतरता में सुसंगत प्रदर्शन करे।

एक प्रभावी न्याय प्रणाली एक स्पष्ट, स्वतंत्र दृष्टि और मज़बूत मूल्यों के आधार पर भी टिकी होती है। इसके सिद्धांत हमारे संविधान से प्रेरित हों और इस व्यवस्था के हर पहलू में समाहित हों ताकि इस प्रणाली में शामिल सभी लोगों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण इसी आधार पर हो एक समग्र दृष्टि के अलावा, व्यवस्था का ढांचा और प्रक्रियाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे इसकी नियमितता, पूर्वानुमान, पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो और इसमें लोगों की वास्तविक भागीदारी हो। इस व्यवस्था में उस विविधतापूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसे यह सेवा देती है। अहम बात यह है कि व्यवस्था का स्पष्ट उद्देश्य उन ज़रूरतों को पूरा करना हो, जिसके लिए इसे बनाया गया है और यह सब व्यक्तिगत कोशिशों पर निर्भर न रहकर, व्यवस्था आधारित प्रयास होने चाहिए।

दशकों से अदालतें, आयोग, सरकारें और नागरिक समाज हमारी न्याय प्रणाली में लगातार आ रही कमियों और कार्यक्षमता की विफलताओं का विश्लेषण कर उसका उल्लेख कर रहे हैं, जबकि इस व्यवस्था के भुक्तभोगी रोज इसका अनुभव करते हैं। इसके लिए आने वाले प्रस्तावों, सिफ़ारिशों और समाधान के प्रस्तावों की संख्या कम नहीं है।

फिर भी, न्याय व्यवस्था का अस्तित्व या संचालन अकेले नहीं होता। यह राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक ताकतों से प्रभावित होने वाली शासन संरचना से व्यापक तौर पर जुड़ी है। इसी से इसका प्रदर्शन भी तय होता है। इसमें सुधार लाने के लिए केवल सिफ़ारिशों की सूची तैयार कराने से आगे बढ़कर इस पर निरंतर दबाव बनाने, राजनीतिक इच्छाशक्ति और बदलाव को प्रोत्साहित करने वाली स्पष्ट रणनीति की ज़रूरत है। आखिरकार, हमें उन एक जैसे रास्तों की पहचान करनी होगी जो न्याय व्यवस्था की सभी शाखाओं में मौजूद हैं और जो कागज़ पर दिए गए सुझावों को ठोस और व्यावहारिक परिणामों में बदल सकते हैं।

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' यह उदाहरण पेश करती है कि कैसे कठिन और डेटा-आधारित मूल्यांकन सुधार की राह दिखा सकते हैं। यह रिपोर्ट समय-समय पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और इस दौरान ऐसे मानकों का इस्तेमाल करती है, जो नीतिगत निर्णय और सार्वजनिक विमर्श को आकार दे सकते हैं। पारदर्शिता और तुलनात्मक

रैंकिंग राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है, जिससे वे अपनी रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारी को अमल में लाने के लिए, सिविल सोसाइटी, अकादमिक जगत और मीडिया को इन एकत्रित आंकड़ों का उपयोग कर बेहतर प्रदर्शन की मांग करनी चाहिए। अदालतों, आयोगों और नीति निर्धारकों को भी इस जानकारी को मात्र एक ज्ञानवर्धक विषय के रूप में नहीं, बल्कि सुधारों को लागू करने के उपकरण के तौर पर देखना चाहिए जो असल ज़िंदगी पर असर डालें।

यह रिपोर्ट एक विशिष्ट चुनौती की ओर ध्यान दिलाती है: न्यायिक संस्थाओं में लंबे समय से चली आ रही कमियां। चाहे पांच करोड़ पेंडिंग केसों के बोझ तले दबी न्यायपालिका हो, या अत्यधिक रिक्त पदों की चुनौती से जूझ रहा पुलिस विभाग हो, या फिर ऐसी जेलें जो पुनर्वास की बजाय केवल कैद करने की जगह बन गई हों, असलियत बहुत ही निराशाजनक है। बजट आवंटन कुछ वर्षों में बढ़े हैं, फिर भी उनका समुचित उपयोग आदर्श ढंग से नहीं हो रहा है। संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर किए बिना, केवल खर्च में वृद्धि से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। इसके अलावा, क्षमता की कमी को दूर करना निश्चित रूप से सफलता के लिए एक आवश्यक क़दम है- लेकिन यह भी अकेले पर्याप्त नहीं है।

बदलाव की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब ठोस प्रोत्साहन भी मिलें। प्रदर्शन आधारित फंडिंग मिले, अच्छा काम कर रही संस्थाओं को मान्यता मिले, नेतृत्व का जवाबदेह तंत्र हो और उपयोगकर्ताओं यानी नागरिकों की ओर से जांच और प्रतिक्रिया जैसी सभी चीज़ें मिलकर सुधारों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। उदाहरण स्वरूप, वे राज्य जो न्यायिक रिक्तियों, पुलिस प्रशिक्षण या जेल पुनर्वास कार्यक्रमों में सुधार दिखाते हैं, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता से पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरह, न्यायिक संस्थाओं में व्यक्तिगत उन्मुखीकरण और जवाबदेही, बेहतर प्रशिक्षण, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण सेवा पर पदोन्नति और निष्क्रियता के लिए दुष्परिणामों के ज़रिए प्रदर्शन आधारित बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अपराध की जांच और क़ानून-व्यवस्था दो अलग-अलग विषय हैं, जिनके लिए अलग-अलग कौशल और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

और, सुधार आंशिक तौर पर नहीं किए जा सकते और न्याय भी किसी इकलौती संस्था द्वारा नहीं दिया जा सकता, बल्कि आपस में निर्भर

संस्थाओं के नेटवर्क के ज़रिए ही सही मायनों में न्याय मिलना संभव है। अगर पुलिस बल अपर्याप्त और अप्रशिक्षित हो तो अदालतें भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकतीं। अगर क़ानूनी सहायता प्रभावी न हो तो जेलें भी पुनर्वास का काम नहीं कर सकतीं। दोषी कैदियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों की बढ़ी संख्या इस समस्या की झलक देती है। समग्र सुधार यह मांग करते हैं कि न्याय प्रणाली के सभी घटकों- पुलिस, न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फॉरेंसिक और मानवाधिकार आयोग सबको एक साथ मजबूत किया जाए।

कोई भी सुधार उन लोगों की सहमति के बिना सफल नहीं हो सकता जो किसी व्यवस्था को चलाते हैं। न्यायपालिका, सरकार और लोक सेवाओं के अग्रणी लोगों को बदलाव की पैरवी करने, जोखिम लेने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक दबाव की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक सुधार बहुत अहम हैं, इसलिए इसे केवल संस्थानों पर छोड़ देना ठीक नहीं है, यह समूचे समाज की मांग होनी चाहिए।

इसका मतलब यह है कि न्याय प्रदान करना केवल एक नैतिक ज़रूरत नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक शांति, त्वरित विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ इस आवश्यक विमर्श के लिए एक अहम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। यह केवल एक रिकॉर्ड किया जा रहा दस्तावेज़ नहीं है, यह बदलाव का आह्वान है। इसके निष्कर्ष हमारी न्याय व्यवस्था का आईना और पथप्रदर्शक दोनों हैं, जो हमारी न्याय प्रणाली की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए आगे का रास्ता भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम इस ज्ञान का उपयोग परिवर्तन लाने के लिए करेंगे या फिर निष्क्रियता के एक और समयचक्र को यूं ही बीतने देंगे। हमारे सामने हमारा कार्य और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, जो शेष है, वह है- कार्रवाई करने की इच्छा।



**संजय किशन कौल**

पूर्व जज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

24 मार्च 2025

# परिचय

‘जो मापा जाता है, उसमें सुधार आता है।’

पीटर ड्रुकर

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ (IJR) के चौथे संस्करण में तुलनाएं, रुझान और अनुमान शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भी 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों और 7 छोटे आकार के राज्यों की न्याय प्रदान करने की संरचनात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। पुलिस, जेल, कानूनी सहायता, न्यायपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोगों के मूल्यांकन के साथ ही, रिपोर्ट ने फॉरेंसिक्स, मध्यस्थता और विकलांगता की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। दशकीय तुलना और हालिया बदलावों के ज़रिए मिले रुझान दिखाते हैं कि राज्य किन क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं या पिछड़ रहे हैं। साथ ही इनसे हमें भविष्य के अनुमानों की भी झलक भी मिलती है। हमेशा की तरह, IJR पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़ों पर निर्भर है।

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ का विभिन्न अंतरालों पर किया गया मूल्यांकन एक बदलता हुआ परिदृश्य सामने लाता है। नई रैंकिंग के शीर्ष पांच स्थानों पर, दक्षिण भारत के राज्य हावी हैं। कर्नाटक एक बार फिर पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में ग्यारहवें स्थान पर रहा तेलंगाना, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरे स्थान पर है। शुरुआत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले केरल और तमिलनाडु की रैंकिंग में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ है, लेकिन वे भी टॉप-5 में बने हुए हैं।

बीच की रैंकिंग वाले राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों ने लगातार सुधार दिखाया है। पिछली बार इस श्रेणी में शीर्ष पर रहे महाराष्ट्र की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है तो गुजरात और पंजाब का प्रदर्शन सुधरता-बिगड़ता रहा है।

निचली रैंकिंग वाली कैटिगरी में बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य थोड़े-बहुत बदलाव के साथ अपनी जगहों पर मौजूद हैं। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश ने आखिरी रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ पश्चिम बंगाल की जगह लेकर उसे नीचे धकेल दिया है। कुल मिलाकर, रैंकिंग के उतार-चढ़ाव दिखाते हैं कि राज्यों के प्रदर्शन में लगातार बदलाव आ रहा है, जिसके पीछे बेहतर शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियां और अन्य प्रभावी कारण हैं।

छोटे राज्यों की रैंकिंग में मिले-जुले रुझान देखने को मिलते हैं। सिक्किम लगातार टॉप पोजिशन पर है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा बीच की रैंकिंग पर हैं, लेकिन मेघालय, मिज़ोरम और गोवा अपनी रैंकिंग में गिरावट के बाद क्रमशः 5 वें, 6 ठे और 7 वें स्थान पर हैं।

अच्छी बात यह है कि न्याय प्रदान करने की क्षमता को बेहतर करने के लिए निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ के मूल्यांकन में स्पष्ट है कि सभी संस्थानों के लिए बजट आवंटन बढ़े हैं, न्यायपालिका में प्रति व्यक्ति खर्च में सुधार हुआ है और निचली न्यायपालिका और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में भी सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। यह बदलाव लीगल ऐड सेक्रेटरी और पैरालीगल वॉलनटियर्स के स्तर पर भी देखने को मिला है। मानव संसाधन की क्षमता में भी सुधार हुआ है। कुछ राज्यों में जुडिशल वैकेंसी को भरा गया है और फॉरेंसिक स्टाफ़ पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। इंफ़्रास्ट्रक्चर में हुए सुधारों में- कोर्ट हॉल बनाना और अन्य कमियों को दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है। बढ़ते कार्यभार के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालयों ने मामलों के निपटारे की दर में सुधार किया है, शहरी पुलिस थानों की संख्या बढ़ी है, और जेलों में कानूनी सहायता का विस्तार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भीड़भाड़ कम करने के लिए खुली जेलें जैसे क़दम जेल सुधार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

## रुझान और रैंकिंग

COVID-19 महामारी को गए चार साल हो चुके हैं। इसके बावजूद मौजूदा मूल्यांकन में देखने को मिला है कि नीतियों और उनके पालन के बीच फ़ासला बरकरार है। महामारी के आघात और इस दौरान आई कमियों से नीतियों, उनके पालन और प्रक्रियाओं में आमूलचूल बदलाव के बजाए सामान्य और धीमी गति की कार्यप्रणाली को बल मिला है।

न्याय व्यवस्था के हर स्तंभ की संरचना और क्षमता वित्तीय संसाधनों की कमी से प्रभावित होती है। इससे प्राथमिकताओं के बीच चयन की मुश्किल हर समय मौजूद रहती है। पिछले दशक में, पुलिस, जेलों, कानूनी सहायता, न्यायपालिका, और फॉरेंसिक सेवाओं के लिए बजट आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है। अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो असल में ये आवंटन और कम साबित होते हैं।

सभी स्तंभों के लिए जारी बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन में चला जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, आधुनिकीकरण या क्षमता को बेहतर करने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। इसका सीधा असर प्रशिक्षण पर पड़ता है, जो पदासीन कर्मचारियों को पदानुसार अपने क्षेत्र के ज्ञान, कामकाजी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी और कौशल के विकास के लिए ज़रूरी है।

प्रशिक्षण पर उचित निवेश करना मात्र बजट खर्च करना नहीं है, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। कम संसाधनों के साथ अधिक काम करने का लगातार दबाव होने के कारण, यह ज़रूरी है कि प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, न कि उसे हाशिये पर रखा जाए।

बजट और प्रशिक्षण सुविधाओं का सरसरी तौर पर विश्लेषण एक तितर-बितर परिदृश्य को सामने लाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण बजट 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और केवल चार राज्यों ने 2 प्रतिशत से अधिक आवंटन किया है। मौजूदा आंकड़े प्रशिक्षण के बारे में गहन जानकारी नहीं देते; जैसे- किस रैंक के या कितने पुलिसकर्मियों को, कितने समय तक ट्रेनिंग दी गई या ट्रेनिंग देने वाले कर्मचारी कितने थे। इसलिए इनसे नीतिगत फैसलों की जानकारी नहीं मिलती। दूसरी जगहों पर अधिक जानकारीयां उपलब्ध हैं। 2023 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 'सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग' ने 'नेशनल जुडिशल एकेडमी' के साथ मिलकर जुडिशल ट्रेनिंग का मूल्यांकन कर इसकी गुणवत्ता का विश्लेषण किया। साथ ही इस विषय से संबंधित ज्ञान के मानकीकरण की ज़रूरत को सामने रखा और स्किल डेवलपमेंट की सिफ़ारिश भी की।

## विविधता और विकलांगता

भारत हाशिए पर पड़े समुदायों का विविधताओं से भरा समूह है, इसलिए इसमें सबको साथ लेकर चलने की चुनौती अत्यंत जटिल है। यहां जाति समूहों से लेकर महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और विकलांग व्यक्तियों तक, सभी की न्याय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की मांग हमेशा बनी रहती है। किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य होता है कि हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा झेली जा रही ऐतिहासिक और व्यवस्थागत असमानताओं को दूर किया जाए। इस सकारात्मक कार्रवाई का मानक यह है कि सभी क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच की खाई को कम किया जाए और इसके मार्गदर्शन का जिम्मा सरकारों और सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाए।

पिछले वर्षों में महिलाओं और जाति समूहों के प्रतिनिधित्व की दिशा में कुछ प्रगति देखने को मिली है। पुलिस बल में महिलाओं का हिस्सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में बढ़ा है, जिनमें से पांच राज्य महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं।<sup>1</sup> अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का अनुपात लगभग सभी राज्यों में सुधरा है और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलनटियर्स में महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, आरक्षण के ज़रिए औपचारिक रूप से जाति आधारित प्रतिनिधित्व ने सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी की न्याय व्यवस्था में उपस्थिति रहे। फिर भी, नेतृत्वकारी या शीर्ष पदों तक पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है।

इनके अलावा, विकलांग व्यक्तियों का समूह न्याय व्यवस्था से बड़े स्तर पर गायब है। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPWD) को आए लगभग एक दशक हो चुका है और यह विकलांगों के 4 प्रतिशत आरक्षण की बात करता है। भारत का क़ानूनी ढांचा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को स्वीकार करता है, लेकिन व्यवस्थागत निष्क्रियता के कारण उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। पुलिस, न्यायपालिका और जेल प्रशासन में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है और भर्ती नीतियों और उनके कार्यान्वयन में भी उन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। इस तरह विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में तो कम प्रतिनिधित्व मिलता ही है और वे न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। न्याय व्यवस्था में सही अर्थों में विविधता लाने के लिए प्रतीकात्मक यानी बस नाम के लिए प्रतिनिधित्व देने से आगे बढ़ना होगा। महिलाओं और जाति-आधारित समूहों के समावेश के लिए ज़रूर क़दम उठाए गए हैं, लेकिन टॉप पोज़िशन अब भी उनकी पहुंच से दूर है और विकलांगों का प्रतिनिधित्व लगातार उपेक्षित मुद्दा बना हुआ है।

## न्यायपालिका

लगातार रिक्तियां, केस निपटारे की निचली दर और केसों का बढ़ता बोझ अब भी औपचारिक न्यायालय प्रणाली को परेशान करते हैं। वर्ष 2024 तक, पेंडिंग केसों की संख्या पांच करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। यह सभी न्यायालयों के स्तर पर 30 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। पेंडिंग केसों की यह बढ़ोतरी जुडिशल वैकेंसी, प्रक्रियागत अक्षमता, और हर साल नए केसों के आने से पैदा होने वाली चुनौतियों को दर्शाती है।

1 आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, लद्दाख और तमिलनाडु।

सुधार के व्यावहारिक तरीके तकनीक के उपयोग पर जोर देते हैं। नए केसों को अधिक संख्या में प्रोसेस करने और प्रशासनिक कार्यभार को सरल बनाने के उद्देश्य से, कुछ विशेष पहलों में डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस पर जोर दिया गया। इसमें ई-फाइलिंग को बढ़ावा देना, ई-सेवा केंद्र स्थापित करना और केस मैनेजमेंट और सूचना का सिस्टम बनाना, कोर्ट रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और पेपरलेस कोर्ट की पहल शामिल है। व्यापक पारदर्शिता के लिए की गई कोशिशों का नतीजा है कि सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग बढ़ी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) का विस्तार किया गया और इसके डैशबोर्ड के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। NALSA का प्लेटफॉर्म 'क्रान्ती सेवा प्रबंधन प्रणाली' अब याचिकाकर्ताओं को क्रान्ती सहायता के लिए

ऑनलाइन आवेदन करने और उनके केसों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा देता है।<sup>4</sup> जिला न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन लोगों को सुविधा मिली जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे। साथ ही, लंबे समय से हिरासत में रहने जैसे जरूरी केसों को प्राथमिकता देने की भी सुविधा मिली।

हालांकि, तकनीक का सफल उपयोग अब भी बिजली आपूर्ति, बैंडविड्थ, हार्डवेयर की उपलब्धता और पुराने नज़रिए के कारण बाधित हो रहा है। अब सवाल है कि पिछले दो वर्षों में कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से ही सही, जो सामान्य या विशेष, सुधार हुए हैं, उन्हें लगातार आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं।

समयसीमा में जिला न्यायाधीशों की भर्ती की गति में सुधार लाने की कोशिशें हमेशा सार्वजनिक रूप से चर्चा में रही हैं, लेकिन फंड की कमी, जटिल प्रक्रियाएं और इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जरूरी न्यायिक समय की कमी जैसी ढांचागत समस्याएं आज भी इन समस्याओं को दूर करने की राह में बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। भर्ती प्रक्रियाओं के मानकीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने और भविष्य में समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए एक 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' (AIJS) और स्टैंडर्ड भर्ती कैलेंडर की जरूरत को बार-बार उठाया गया है।

वैसे, पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने सभी 34 जजों की संख्या पूरी की है। वैकेंसी को भरने की कोशिशें हुईं, जिमें 2022 में रिकॉर्ड 165 हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2023 में अब तक की सबसे ज्यादा वार्षिक नियुक्ति दर के साथ 110 नियुक्तियों की गई।<sup>2</sup> फिर भी, दो वर्षों (2022 से 2024) में हाई कोर्ट में वैकेंसी बढ़ी है। वहीं, अधीनस्थ अदालतों में जहां ज्यादातर केस दाखिल होते हैं, वहां भी लगातार लगभग 20 प्रतिशत वैकेंसी बनी हुई है।

अक्सर, स्पेशल कोर्ट, जैसे- फास्ट-ट्रैक कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, जुनेवाइल जस्टिस, कमर्शियल कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम को औपचारिक न्याय व्यवस्था में दक्षता लाने वाली मदद के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन ये भी अपेक्षित नतीजे दे पाने में नाकाम हैं। इनकी असफलता

का कारण भी अदालतों की तरह संसाधनों की कमी और अत्यधिक दबाव जैसी चुनौतियां हैं। इसी तरह, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और मानकीकृत प्रक्रियाओं के न होने के कारण मध्यस्थता को न्यायालयों से केसों का दबाव कम करने और विवादों के समाधान में तेजी लाने का वादा अभी भी एक सपना ही बना हुआ है।

## पुलिस

राष्ट्रीय स्तर पर, पुलिस-जनसंख्या अनुपात 1,00,000 की आबादी पर 155 पुलिस कर्मियों से ऊपर नहीं जा सका, जो पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफी कम है।<sup>5</sup> राज्यों में ये आंकड़े अलग-अलग हैं और इससे काफी कम भी हैं, जैसे- बिहार, जहां 1 लाख की आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या और नियुक्त संख्या में अंतर आने के नतीजे दूरगामी होते हैं: इससे केसों की जांच में अधिक समय लगता है, अपराध रोकने के प्रयास विफल होते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। अत्यधिक दबाव में रहने वाले जांच अधिकारियों को अक्सर हत्या, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम और बलात्कार जैसे कई गंभीर मामलों में से किसी न किसी केस से समझौता कर दूसरे को प्राथमिकता देनी पड़ती है। इससे जांचों का बैकलॉग बढ़ने, केसों की अच्छी तैयारी न हो पाने और फिर अदालत में अनिश्चित फैसले आने के साथ अनसुलझे अपराधों का ढेर लगने जैसी

2. लोक सभा, अंतरांकित प्रश्न संख्या- 1006 स दिनांक- 8 दिसंबर 2023. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU1006.pdf?source=pqals>

3. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, ई-कॉमर्स न्यूजलेटर, नवंबर 2024. इस लिंक पर उपलब्ध: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2025/01/20250122910849551.pdf>

4. NALSA का लीगल ऐड केस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लिंक पर उपलब्ध: <https://nalsa.gov.in/lams/>

5. पुलिस अनुसंधान और एवं विकास ब्यूरो, पुलिस संगठनों के आंकड़े 2023, तालिका संख्या- 2.1.3, पृष्ठ- 54. इस लिंक पर उपलब्ध: [https://bprn.nic.in/uploads/pdf/1716639795\\_d6fce11ed56a985b635c.pdf](https://bprn.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf)

चुनौतियां सामने आती हैं, जो क़ानून की सार्थकता को चुनौती देती है।

साथ ही, पिछले पांच वर्षों में जनसंख्या में आए बदलावों की वजह से शहरी क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में 4 प्रतिशत की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 प्रतिशत की कमी आई है। शहरी पुलिस स्टेशनों के तहत सामान्यतः 20 वर्ग किलोमीटर का इलाक़ा होता है तो ग्रामीण पुलिस स्टेशनों का कार्यक्षेत्र 300 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ये आंकड़े पुलिस सेवाओं तक पहुंच में असमानता का संकेत देते हैं।

प्रगतिशील नीतियों और क़ानूनी सुधारों के लागू होने पर उनका असर अक्सर व्यवस्थागत विफलताओं से कुंठ हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के 2020 के विस्तृत आदेश में पुलिस स्टेशनों में CCTV स्थापित करने की ज़रूरत बताई गई थी, जिसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना था, लेकिन इसका सभी जगह पालन नहीं हुआ और कुछ राज्यों में तो बाद के वर्षों में स्थिति बदतर हो गई। वर्ष 2023 की शुरुआत तक, कई पुलिस स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट के कड़े मानकों का पालन करना तो दूर, अभी तक एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा था।

## फॉरेंसिक्स

फॉरेंसिक साइंस न्याय के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे भारत में फॉरेंसिक लैब के प्रशासनिक नियंत्रण और क्षमता में भारी अंतर हैं, जो उनकी दक्षता और निष्पक्षता को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। कई राज्यों, जैसे- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब सीधे पुलिस के नियंत्रण में काम करती हैं। यह व्यवस्था फॉरेंसिक विश्लेषण की आज़ादी को खतरे में डाल सकती है। अन्य स्थानों पर, फॉरेंसिक सेवाएं गृह विभाग के अधीन होती हैं। कुछ हद तक अलग-अलग संस्थाएं होने की वजह से यहां पर फॉरेंसिक जांच में स्वायत्ता सुनिश्चित होती है।

आपराधिक जांच प्रणाली में इतनी अहम कड़ी होने के बावजूद, पूरे देश में फॉरेंसिक लैब्स क्षमता संबंधी गंभीर कमियों का सामना कर रही हैं। कई लैब्स में लगातार फंड की कमी बनी हुई है तो कोई पुराने इंफ़्रास्ट्रक्चर और कुशल कर्मियों की कमी से जूझ रही हैं। एक ओर फॉरेंसिक विश्लेषण की बढ़ती मांग है तो दूसरी ओर इनके सीमित संसाधन हैं, जो केसों के बैकलॉग का कारण बन रहे हैं और यह जांच और सुनवाई दोनों में देरी की वजह बन रहा है। अपर्याप्त बजट आवंटन और धीमी भर्ती प्रक्रियाओं से प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी और गंभीर हो जाती है। इसके अतिरिक्त, रीजनल फॉरेंसिक लैब की कमी की वजह से महत्वपूर्ण सबूतों को पहले से ही पैडिंग केसों के बोझ से दबी राज्य-स्तरीय

प्रयोगशालाओं में भेजना पड़ता है। इससे फॉरेंसिक परीक्षणों में और देर होती है और साथ ही जांच और मुकदमों में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने फॉरेंसिक क्षमता को मज़बूत करने के लिए क़दम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना का प्रस्ताव दिया है ताकि लंबित केसों की संख्या कम की जा सके। साथ ही, इंफ़्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और फॉरेंसिक ट्रेनिंग को क़ानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल करने पर भी काम किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने स्वतंत्र रूप से क़दम उठाए हैं; तमिलनाडु ने अपने फॉरेंसिक स्टाफ़ की संख्या बढ़ाई है और एडवांस फॉरेंसिक तकनीक में निवेश किया है, जबकि दिल्ली ने केसों के जल्द निपटारे के लिए फॉरेंसिक और अटॉप्सी कोऑर्डिनेशन के उपायों को लागू किया है। केंद्र ने 'DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक' भी पेश किया है ताकि फॉरेंसिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जा सके और फॉरेंसिक सबूतों की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। इन उपायों के दूरगामी असर को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग, फॉरेंसिक साइंस में निरंतर निवेश, इसे स्वतंत्र और संसाधनपूर्ण बनाए रखने और जस्टिस डिलीवरी के व्यापक लक्ष्य से क़दम मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता ज़रूरी होगी।

## जेल

जेलों के लिए संशोधित क़ानून आने, कई न्यायिक निर्देश जारी होने, कैदियों की संख्या कम करने की विशेष कोशिशों और 2016 के मॉडल जेल मैनुअल को कई राज्यों द्वारा अपनाने के बावजूद, जेलों की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। पिछले दशक में जेलों में कैदियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जांच या मुकदमा पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं विचाराधीन कैदियों की संख्या 66 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर, जेलों में क्षमता के मुकाबले औसतन 131 प्रतिशत कैदी हैं। लेकिन दर्जन भर जेलें ऐसी हैं, जहां क्षमता से चार गुना अधिक कैदी रखे गए हैं। अमिताव रॉय समिति अपनी 2023 की रिपोर्ट (1,382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियां) में बताती है कि केवल 68 प्रतिशत कैदियों के पास पर्याप्त सोने की जगह है। हालांकि जेलों के बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन जेल स्टाफ़ की संख्या और जेल इंफ़्रास्ट्रक्चर में इस अनुपात में सुधार नहीं हो पा रहा है। अक्सर सैकड़ों कैदियों के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध रहता है, जो कि निर्धारित मानक प्रति डॉक्टर- 300 कैदी से

कहीं अधिक है। प्रशिक्षित कल्याण अधिकारियों, समाजसेवियों और मनोवैज्ञानिकों की कमी के कारण कैदी जेल में आने के बाद अक्सर बदतर हालात में बाहर निकलते हैं, जिससे उनके पुनः अपराध करने की संभावना बढ़ती है और आखिरकार न्याय प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। अमिताव रॉय समिति की अपील, 'समर्पित ईमानदारी और दृढ़ जिम्मेदारी से एक सोच और जुनून के साथ मिशन मोड में काम करें,' तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक पर्याप्त फ़ाइनेंशियल, इंफ़्रास्ट्रक्चर और स्टाफ़ की क्षमता न हो। तब तक जेलें 'मॉडल जेल और सुधार सेवाएं अधिनियम, 2023' में दिए गए विचार के अनुसार सुधार और पुनर्वास के केंद्रों से हटकर, केवल अस्थायी आश्रय बनी रहेंगी।

## क्रानूनी सहायता

इस अवधि में क्रानूनी सहायता ने विशिष्ट तंत्रों पर ज़ोर दिया है, जैसे; क्रानूनी सहायता रक्षा परामर्श (LADC) प्रणाली, जेल क्लीनिक और राष्ट्रीय लोक अदालतों की समयसीमा तय करना और फंड का सटीक संतुलन। इन विशेष प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ व्यापक सामुदायिक कोशिशों के लिए संसाधनों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसके परिणामस्वरूप, पैरालीगल वॉलनटियर्स की संख्या कम हो गई है, व्यापक क्रानूनी जागरूकता का लक्ष्य प्राथमिकता से बाहर हो गया है। तालुका-स्तरीय क्रानूनी सलाह और परामर्श केंद्र अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, जो दूरदराज के समुदायों की पहुंच के अहम केंद्र थे। ये बदलाव कैदियों के क्रानूनी प्रतिनिधित्व जैसे विशेष मुद्दों के लिए तो लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन अनजाने में ही लीगल ऐड का क्रानूनी जागरूकता की ज़रूरत और स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलने वाली क्रानूनी सलाह और समर्थन जैसा एक और बुनियादी उद्देश्य नज़रअंदाज़ हो सकता है। इससे न्याय तक पहुंच में पहले से मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं।

## राज्य मानवाधिकार आयोग

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022' ने राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) की क्षमता का आकलन किया था ताकि वे अपने व्यापक दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। दो साल बाद भी SHRCs की कार्यप्रणाली में उनके लक्ष्यों, दायित्वों और उनकी ज़मीनी क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है।

बुनियादी मापदंडों जैसे; बजट उपयोग में वृद्धि, लैंगिक विविधता और मामले निपटाने की दर में लगातार सुधार ने रैंकिंग पर काफ़ी असर डाला है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल का SHRC इन मापदंडों में परिवर्तनों के कारण सबसे निचले स्थान से पहले स्थान तक पहुंच

गया है। हालांकि, यह रैंकिंग गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन की क्षमता को नहीं दर्शाती। उदाहरण के लिए, SHRCs में 80 प्रतिशत से अधिक मामलों को निपटाने की दर प्रभावशाली नज़र आती है, लेकिन ये आंकड़े उन शिकायतों के हैं, जो बिना किसी समाधान निकाले या किसी सुनवाई या जांच के बग़ैर शुरुआत में ही खारिज कर दी जाती हैं।

अंततः, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी कार्यप्रणाली और छवि को सुधारने के लिए कोशिश करते नहीं दिखते क्योंकि वे अक्सर अपनी वेबसाइट को अपडेट करने, केसों की विस्तृत जानकारी और विविधता के आंकड़े प्रकाशित करने या समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में विफल रहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग RTI के प्रश्नों का उत्तर देने में भी संकोच करते हैं जिससे सार्वजनिक आंकड़े पहुंच से बाहर रहते हैं, जवाबदेही तय करने से बचते हैं, अच्छी प्रथाओं को निष्प्रभावी कर देते हैं और यह उनकी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखता है।

## निष्कर्ष

भारत की 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता में लैंगिक समानता, असमानताओं को कम करना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रगति संभव है। विशेष रूप से, न्याय तक पहुंच में सुधार डिजिटलीकरण और क्रानूनी जागरूकता से ही संभव है। लेकिन उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति एक चुनौती बनी रहेगी। न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, हालांकि बदलाव की मौजूदा गति को देखते हुए समानता पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना भी एक आकांक्षा बनी रहेगी, क्योंकि क्षमता की कमी और कार्यान्वयन में अंतर बना रहेगा। अहम प्रगति उन क्षेत्रों में अधिक संभव है जहां नीतिगत सुधारों को तकनीक और जागरूकता के साथ मिलाकर लागू किया जाता है। अंततः, परिवर्तनकारी बदलावों के लिए निरंतर प्रयास, ज़्यादा निवेश और जटिल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

कोविड महामारी के बाद, वर्ष 2022 से 2024 के बीच एक राष्ट्रीय चुनाव और कई राज्यों के चुनाव हुए हैं। सरकारें बदली हैं और उन्होंने जस्टिस डिलीवरी को सुधारने और इससे संबंधित संस्थाओं को अपना उद्देश्य पूरा करने लायक बनाने की जिम्मेदारी ली है।

भारतीय न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। इन उपायों में अंडर-ट्रायल रिव्यू

समुचित वित्तीय संसाधनों वाली व्यवस्था आदर्श है, लेकिन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संसाधनों का ऐसा न्यायसंगत आवंटन होना चाहिए कि उसका अधिकतम सार्वजनिक लाभ मिल सके।

कमेटीयां (UTRCs), यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) की कमेटीयां, लीगल ऐड डिफेंस काउंसल (LADC) सिस्टम, और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' में गंभीर क्रिम के अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच जैसे उदाहरण शामिल हैं। ये सभी पहल न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं और दिखाती हैं कि दीर्घकालिक चुनौतियों के समाधान की कोशिश जारी है। जस्टिस डिलीवरी सुनिश्चित करने और इसकी मजबूत व्यवस्था खड़ी करने के लिए सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक क्षमता की ठोस नींव तैयार करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, केवल तकनीक के आकस्मिक आगमन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न ही यह अकेले कार्यभार को कम करने में सक्षम है। जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आने से समय और लागत बचने लगे हैं, क्योंकि अब सैकड़ों कैदियों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले की अदालतों में लाने-ले जाने के लिए समय और कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती। इसी बीच मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे कैदियों की संख्या भी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। लेकिन यह तकनीक अकेले न्याय प्रदान करने की गति तेज़ करने का कोई संकेत नहीं देती। वहीं, तकनीक की मदद से जेल की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और शैक्षणिक अवसरों के विस्तार की संभावना अभी तक सामने नहीं आ सकी है।

सीमित संसाधनों की वजह से यह ज़रूरी हो जाता है कि संबंधित अधिकारी अधिक ज़िम्मेदारी के साथ ज़्यादा प्रतिफल दें। यह स्वाभाविक आवश्यकता है कि न्याय प्रदान करने की व्यवस्था के विभिन्न चरणों पर मौजूद लोग सीमित वित्तीय संसाधनों से अधिकतम लाभ हासिल करें। इसलिए सही सोच यही है कि न्याय व्यवस्था के सीमित बजट को पहले उस दिशा में लगाया जाए जहां सुधार लाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके।

इसमें आंकड़े काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। न्याय प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, सुसंगत, समयबद्ध और सटीक आंकड़े ज़रूरी हैं, जो वर्ष दर वर्ष जमा किए जाएं। ये आंकड़े नीति निर्माताओं को भविष्य की दिशा तय करने और परस्पर निर्भर लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं को

पहचानने में मदद करेंगे। डिजिटल पहल; जैसे- ई-प्रिजन और डिजिटल कोर्ट रिकॉर्ड भी आंकड़ों के उपयोग में सुधार की संभावना पेश करते हैं, लेकिन आंकड़ों के बिखरे हुए स्रोतों की वजह से इनके बीच क्रॉस रेफरेंस और सहसंबंध स्थापित करना मुश्किल होता है। इससे समग्र नीति के सार्थक निष्कर्षों तक पहुंचने और उन खामियों को भी चिन्हित करने में भी बाधा आती है, जिनमें तुरंत सुधार की ज़रूरत है।

कमज़ोर संस्थाएं अन्याय को जन्म देती हैं। संस्थाओं के संसाधनहीन बने रहने से क़ानून न्यायपूर्ण तरीके से लागू नहीं हो सका। यह सब मिलकर ऐसा कुचक्र बनाती है जहां लगातार कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का खतरा बना रहता है, जबकि कुछ लोग बिना किसी सज़ा के बच निकलते हैं। कुछ समय बाद, जब क़ानून के सब पर समान रूप से लागू न होने की समस्या बनी रहती है तो लोगों का इस पर भरोसा कम होता जाता है और यह धारणा मज़बूत होती जाती है कि क़ानून सबके लिए समान नहीं है।

कुल मिलाकर क्षमता की कमी, असंभव कार्यभार, अधिक भरी जेलों और क़ानूनी समाधान के अपर्याप्त उपायों ने मिलकर न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में 'विकट समस्या' खड़ी की है, जो बहुआयामी और गंभीर चुनौती पेश कर रही है। साथ ही, इसके समाधान का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। यह समस्या हर तरह से इतनी व्यापक है कि इसका कोई एक नहीं, बल्कि कई समाधान निकलेंगे। इसलिए कई कोशिशों को एक साथ शुरू करना होगा, ताकि समाधान निकाले जा सकें।

ऐसा करने के बाद भी, संभावना है कि समस्या समाप्त होने के बजाए नए रूपों में सामने आए। फिर भी, लगातार कोशिशों से चुनौतियों के ढेर और यथास्थिति को बदलना संभव है और हम शर्तिया कुछ क़दम आगे बढ़ेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक और क़ानून शासित देश बने सौ वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए न्याय प्रणाली को बेहतर बनाना, एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करने जैसा है जो लोगों के लिए अधिक सुलभ, समान, सक्षम हो और नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी भी हो। एक ऐसी व्यवस्था जो संविधान के आदर्शों के अनुरूप बनी हो और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करे कि न्याय मात्र होने के बजाए न्याय होता हुआ भी दिखे।

**माया दारूवाला,**

मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

# राष्ट्रीय कमियां



## पुलिस

### 50%

पद खाली हैं, पूरे देश के मात्र 10,000 फॉरेंसिक स्टाफ़ में से



### 1.25%

राष्ट्रीय औसत है, पुलिस बजट में से ट्रेनिंग पर खर्च करने का

### 0

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पुलिस में महिलाओं का अपना कोटा पूरा भरा



## जेल

### 176

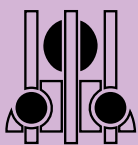
जेलों में 200% या इससे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर है

### 20

 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों

में 20% से ज़्यादा विचाराधीन कैदी 1-3 साल तक हिरासत में रहते हैं

### 25



मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक हैं देश के 5.7 लाख कैदियों के लिए। 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इनके पद ही नहीं।



## न्यायपालिका

**कर्नाटक:** इकलौता राज्य है, जिसने न्यायपालिका और पुलिस में अपना SC/ST/OBC का कोटा भरा।

### 6

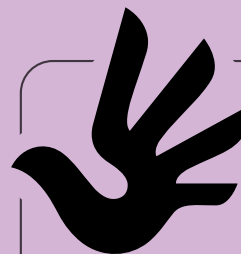
हाई कोर्ट्स की वार्षिक केस निपटान दर 2017 से 100% से ज़्यादा रही।



## क्रानूनी सहायता

### 38%

कमी आई है पैराली-गल वॉलनटियर्स की संख्या में 2019 से।



## मानवाधिकार आयोग

केवल

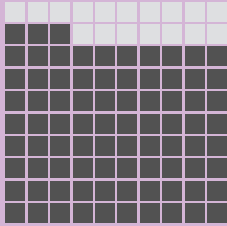
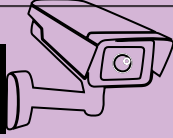
### 4%

केस स्वतः संज्ञान के द्वारा लिए गए।



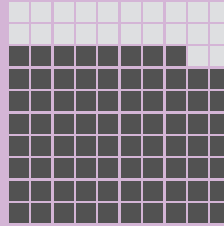
# अच्छी खबर

## पुलिस



**83%**

पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगा है।



**78%**

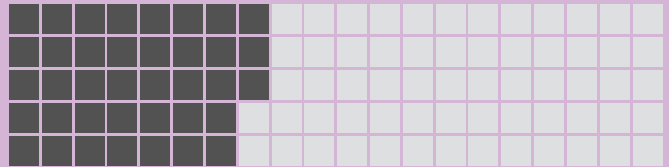
पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क है।

## न्यायपालिका



**38%**

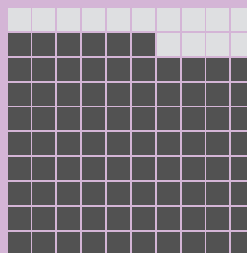
महिला जज हैं अधीनस्थ न्यायपालिका में



## जेल



**8** राज्यों ने महिला कैदियों और महिला डॉक्टरों का **1:300 का मानक** पूरा किया।



**86%**

जेलों में कम से कम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल की सुविधा है।

# ओवरऑल रैंकिंग\*

\* पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता की समग्र रैंकिंग

## कलर गाइड

श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक  
(IJR 4 में)

102

## समूह

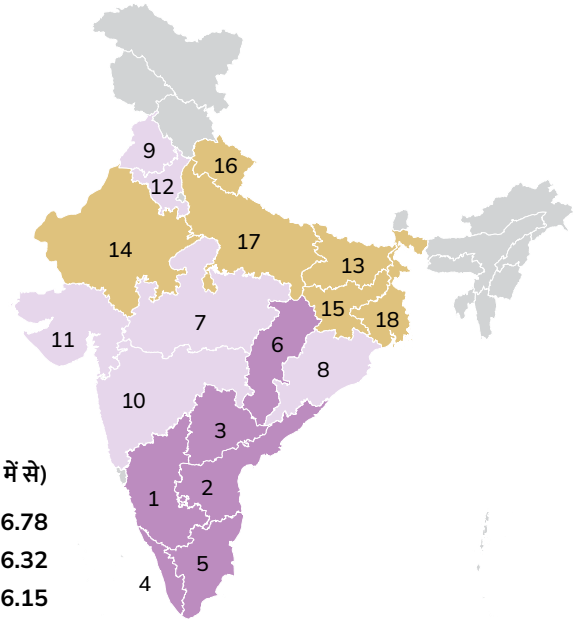
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)
- 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

## मानचित्र 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6             | 14            | 1             | 1             |
| 13            | 12            | 5             | 2             |
| 11            | 3             | 3             | 3             |
| 2             | 5             | 6             | 4             |
| 3             | 2             | 2             | 5             |
| 10            | 7             | 9             | 6             |
| 9             | 16            | 8             | 7             |
| 7             | 11            | 11            | 8             |
| 4             | 4             | 10            | 9             |
| 1             | 1             | 12            | 10            |
| 8             | 6             | 4             | 11            |
| 5             | 9             | 13            | 12            |
| 17            | 13            | 16            | 13            |
| 14            | 10            | 15            | 14            |
| 16            | 8             | 7             | 15            |
| 15            | 15            | 14            | 16            |
| 18            | 18            | 18            | 17            |
| 12            | 17            | 17            | 18            |

| राज्य        | स्कोर (10 में से) |
|--------------|-------------------|
| कर्नाटक      | 6.78              |
| आंध्र प्रदेश | 6.32              |
| तेलंगाना     | 6.15              |
| केरल         | 6.09              |
| तमिलनाडु     | 5.62              |
| छत्तीसगढ़    | 5.54              |
| मध्य प्रदेश  | 5.42              |
| ओडिशा        | 5.41              |
| पंजाब        | 5.33              |
| महाराष्ट्र   | 5.12              |
| गुजरात       | 5.07              |
| हरियाणा      | 5.02              |
| बिहार        | 4.88              |
| राजस्थान     | 4.83              |
| झारखंड       | 4.78              |
| उत्तराखंड    | 4.41              |
| उत्तर प्रदेश | 3.92              |
| पश्चिम बंगाल | 3.63              |

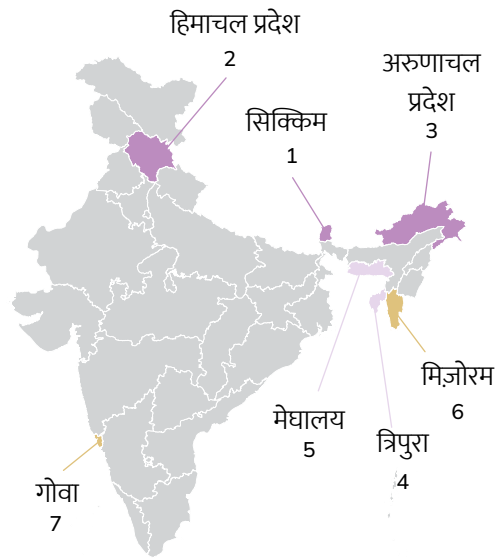


## मानचित्र 2: छोटे राज्य

रैंक (18 में से)

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2             | 2             | 1             | 1             |
| 3             | 4             | 6             | 2             |
| 6             | 5             | 2             | 3             |
| 7             | 1             | 3             | 4             |
| 5             | 7             | 4             | 5             |
| 4             | 6             | 5             | 6             |
| 1             | 3             | 7             | 7             |

| राज्य          | स्कोर (10 में से) |
|----------------|-------------------|
| सिक्किम        | 5.20              |
| हिमाचल प्रदेश  | 4.36              |
| अरुणाचल प्रदेश | 4.21              |
| त्रिपुरा       | 4.11              |
| मेघालय         | 4.02              |
| मिज़ोरम        | 3.81              |
| गोवा           | 3.51              |



## रैंकिंग वाले हर राज्य ने न्याय के 4 स्तंभों में अपने समूह में कैसा प्रदर्शन किया

### तालिका 1: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के लिए रैंक और स्कोर

■ रैंक 1 से 6   ■ रैंक 7 से 12   ■ रैंक 13 से 18

|              | ओवरऑल<br>रैंक<br>IJR 4<br>2025 | पुलिस         |               |               |               | जेलें         |               |               |               | न्यायपालिका   |               |               |               | क़ानूनी सहायता |               |               |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019  | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
| कर्नाटक      | 1                              | 6             | 1             | 2             | 3             | 3             | 14            | 2             | 2             | 16            | 12            | 2             | 4             | 7              | 16            | 2             | 1             |
| आंध्र प्रदेश | 2                              | 5             | 4             | 3             | 2             | 15            | 7             | 5             | 4             | 13            | 14            | 11            | 5             | 10             | 14            | 13            | 5             |
| तेलंगाना     | 3                              | 11            | 10            | 1             | 1             | 13            | 2             | 3             | 7             | 11            | 6             | 5             | 2             | 4              | 6             | 5             | 10            |
| केरल         | 4                              | 13            | 14            | 17            | 15            | 1             | 5             | 4             | 3             | 5             | 3             | 4             | 1             | 1              | 7             | 6             | 6             |
| तमिलनाडु     | 5                              | 1             | 5             | 6             | 13            | 10            | 6             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 3             | 12             | 11            | 12            | 16            |
| छत्तीसगढ़    | 6                              | 10            | 2             | 9             | 4             | 8             | 11            | 13            | 13            | 12            | 4             | 6             | 8             | 8              | 15            | 11            | 7             |
| मध्य प्रदेश  | 7                              | 15            | 18            | 7             | 11            | 7             | 8             | 7             | 5             | 6             | 11            | 10            | 9             | 9              | 12            | 14            | 9             |
| ओडिशा        | 8                              | 7             | 3             | 4             | 8             | 5             | 9             | 11            | 6             | 9             | 15            | 13            | 12            | 15             | 8             | 10            | 8             |
| पंजाब        | 9                              | 3             | 12            | 13            | 7             | 16            | 13            | 12            | 15            | 2             | 2             | 3             | 7             | 3              | 3             | 9             | 2             |
| महाराष्ट्र   | 10                             | 4             | 13            | 10            | 5             | 2             | 4             | 10            | 10            | 4             | 5             | 12            | 11            | 5              | 1             | 7             | 14            |
| गुजरात       | 11                             | 12            | 8             | 8             | 9             | 9             | 10            | 6             | 9             | 7             | 8             | 9             | 14            | 6              | 9             | 3             | 13            |
| हरियाणा      | 12                             | 8             | 9             | 12            | 14            | 11            | 16            | 16            | 14            | 3             | 7             | 14            | 10            | 2              | 5             | 4             | 3             |
| बिहार        | 13                             | 14            | 11            | 16            | 10            | 6             | 3             | 9             | 12            | 18            | 18            | 16            | 15            | 16             | 2             | 16            | 12            |
| राजस्थान     | 14                             | 17            | 16            | 14            | 16            | 12            | 1             | 8             | 8             | 8             | 10            | 17            | 6             | 11             | 13            | 17            | 18            |
| झारखंड       | 15                             | 9             | 6             | 11            | 12            | 18            | 15            | 15            | 17            | 14            | 9             | 7             | 13            | 14             | 4             | 1             | 11            |
| उत्तराखंड    | 16                             | 2             | 7             | 5             | 6             | 17            | 18            | 18            | 18            | 15            | 13            | 8             | 16            | 17             | 10            | 8             | 4             |
| उत्तर प्रदेश | 17                             | 18            | 15            | 15            | 17            | 14            | 17            | 17            | 16            | 17            | 17            | 15            | 17            | 18             | 18            | 18            | 17            |
| पश्चिम बंगाल | 18                             | 16            | 17            | 18            | 18            | 4             | 12            | 14            | 11            | 10            | 16            | 18            | 18            | 13             | 17            | 15            | 15            |

राज्यों के नाम IJR 4 की ओवरऑल रैंक के अनुसार घटते क्रम में हैं।

### तालिका 2: छोटे राज्यों के लिए रैंक और स्कोर

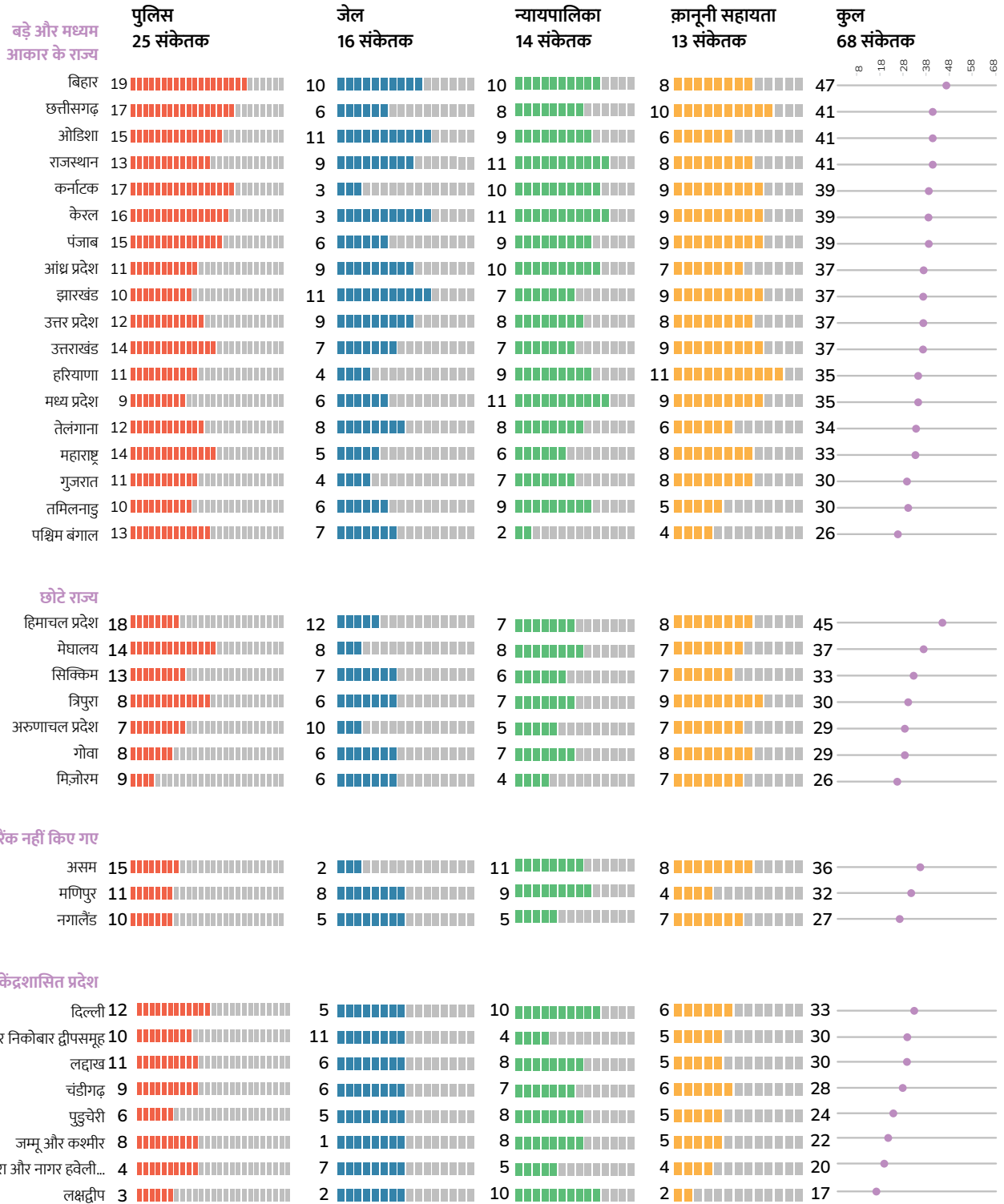
■ रैंक 1 से 6   ■ रैंक 7 से 12   ■ रैंक 13 से 18

|                | ओवरऑल<br>रैंक<br>IJR 4<br>2025 | पुलिस         |               |               |               | जेलें         |               |               |               | न्यायपालिका   |               |               |               | क़ानूनी सहायता |               |               |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                                | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 | IJR 1<br>2019  | IJR 2<br>2021 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
| सिक्किम        | 1                              | 1             | 1             | 1             | 1             | 7             | 6             | 4             | 3             | 1             | 1             | 1             | 2             | 4              | 3             | 1             | 1             |
| हिमाचल प्रदेश  | 2                              | 6             | 2             | 5             | 4             | 6             | 1             | 2             | 2             | 3             | 2             | 6             | 5             | 3              | 6             | 5             | 4             |
| अरुणाचल प्रदेश | 3                              | 2             | 4             | 2             | 2             | 3             | 3             | 1             | 1             | 7             | 5             | 4             | 4             | 7              | 7             | 7             | 7             |
| त्रिपुरा       | 4                              | 4             | 5             | 7             | 6             | 5             | 2             | 5             | 6             | 6             | 6             | 2             | 1             | 5              | 2             | 4             | 3             |
| मेघालय         | 5                              | 5             | 3             | 3             | 5             | 2             | 5             | 6             | 4             | 4             | 7             | 5             | 3             | 6              | 5             | 3             | 5             |
| मिज़ोरम        | 6                              | 7             | 6             | 4             | 3             | 4             | 7             | 3             | 5             | 5             | 3             | 3             | 6             | 2              | 4             | 6             | 6             |
| गोवा           | 7                              | 3             | 7             | 6             | 7             | 1             | 4             | 7             | 7             | 2             | 4             | 7             | 7             | 1              | 1             | 2             | 2             |

राज्यों के नाम IJR 4 की ओवरऑल रैंक के अनुसार घटते क्रम में हैं।

## चित्र 1: IJR 2022 और IJR 2025 के बीच सुधार स्कोरकार्ड

68 स्थिर संकेतकों (जो पृष्ठ 33 पर सूचीबद्ध हैं) में से कितने में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने सुधार किया?



कार्यप्रणाली: IJR 3 के मुकाबले राज्य ने जिन संकेतकों में सुधार किया है, उसकी गिनती। केवल वही संकेतक, जो रुझान में नहीं हैं और IJR 3 और IJR 4 दोनों में उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। उन संकेतकों के लिए, जिनके लिए मानक हैं, यदि राज्य ने मानक पूरा किया, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया, भले ही उसके मूल्य में मानक के भीतर कमी आई हो। यदि राज्य ने मानक पूरा नहीं किया, लेकिन उसके मूल्य में सुधार हुआ, तो उसे सुधार के रूप में चिह्नित किया गया। जहां किसी संकेतक का मूल्य एक या दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं था, उस संकेतक को नहीं माना गया।

# मानव संसाधनों की रैंकिंग\*

राज्यों ने पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता में मानव संसाधन के 19 संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन किया? संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

## कलर गाइड

■ श्रेष्ठ ■ मध्य ■ खराब

संकेतक  
(IJR 4 में)

19

## समूह

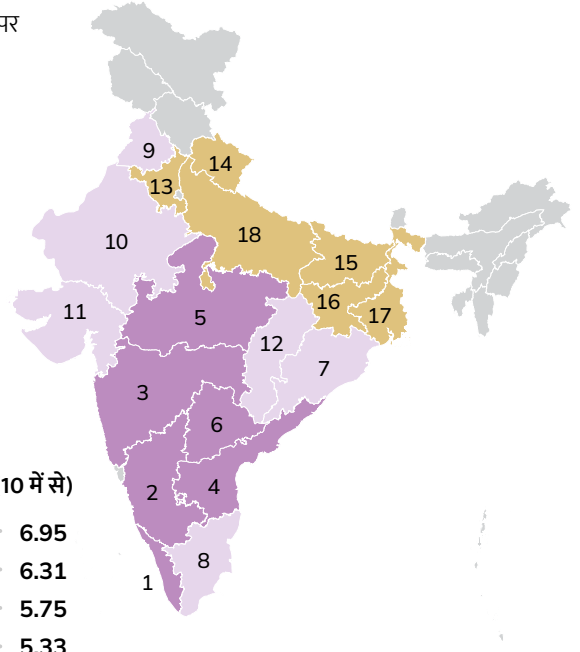
- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)
- 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

## मानचित्र 3: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

| नया           |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
| 1             | 3             | 2             | 1             |
| 6             | 11            | 1             | 2             |
| 2             | 1             | 3             | 3             |
| 13            | 16            | 12            | 4             |
| 5             | 9             | 10            | 5             |
| 12            | 5             | 6             | 6             |
| 3             | 4             | 4             | 7             |
| 4             | 2             | 5             | 8             |
| 7             | 6             | 8             | 9             |
| 8             | 7             | 14            | 10            |
| 10            | 8             | 7             | 11            |
| 14            | 14            | 9             | 12            |
| 9             | 12            | 11            | 13            |
| 15            | 13            | 16            | 14            |
| 17            | 15            | 18            | 15            |
| 16            | 10            | 13            | 16            |
| 11            | 17            | 15            | 17            |
| 18            | 18            | 17            | 18            |

| राज्य        | स्कोर (10 में से) |
|--------------|-------------------|
| केरल         | 6.95              |
| कर्नाटक      | 6.31              |
| महाराष्ट्र   | 5.75              |
| आंध्र प्रदेश | 5.33              |
| मध्य प्रदेश  | 5.27              |
| तेलंगाना     | 5.19              |
| ओडिशा        | 5.15              |
| तमिलनाडु     | 4.94              |
| पंजाब        | 4.75              |
| राजस्थान     | 4.55              |
| गुजरात       | 4.51              |
| छत्तीसगढ़    | 4.44              |
| हरियाणा      | 4.27              |
| उत्तराखंड    | 4.02              |
| बिहार        | 3.76              |
| झारखंड       | 3.66              |
| पश्चिम बंगाल | 3.56              |
| उत्तर प्रदेश | 3.55              |

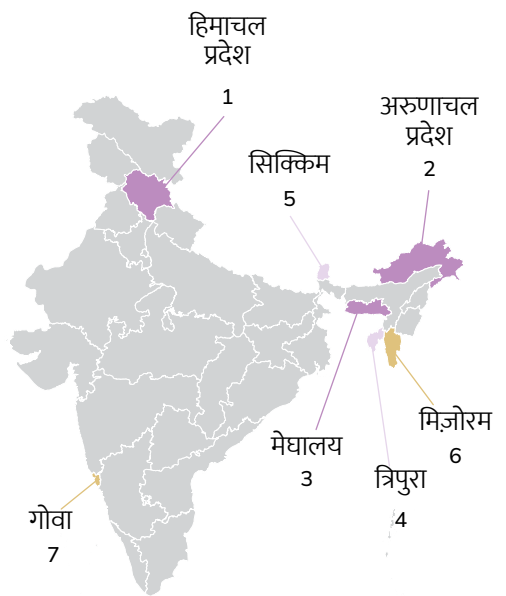


## मानचित्र 4: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

| नया           |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
| 1             | 1             | 1             | 1             |
| 6             | 2             | 4             | 2             |
| 3             | 5             | 5             | 3             |
| 5             | 4             | 3             | 4             |
| 4             | 3             | 2             | 5             |
| 7             | 6             | 7             | 6             |
| 2             | 7             | 6             | 7             |

| राज्य          | स्कोर (10 में से) |
|----------------|-------------------|
| हिमाचल प्रदेश  | 4.78              |
| अरुणाचल प्रदेश | 4.29              |
| मेघालय         | 3.92              |
| त्रिपुरा       | 3.67              |
| सिक्किम        | 3.59              |
| मिज़ोरम        | 3.21              |
| गोवा           | 2.80              |



## चित्र 2: स्तंभों में रक्तियां

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख पदों पर रक्तियों का विश्लेषण किया। सभी आकारों के कई राज्यों में उनके स्वीकृत पदों के मुकाबले 25% से अधिक रक्तियां हैं।

20% तक 20% से 40% तक 40% से अधिक

|                             | पुलिस वैकेंसी (%)          |                       | न्यायपालिका वैकेंसी (%)    |                                           |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                             | कॉन्स्टेबल्स<br>जनवरी 2023 | अधिकारी<br>जनवरी 2023 | हाई कोर्ट जज<br>फरवरी 2025 | अधीनस्थ<br>अदालतों के<br>जज जनवरी<br>2025 | हाई कोर्ट स्टाफ<br>जून 2024 |
| बड़े और मध्यम आकार के राज्य |                            |                       |                            |                                           |                             |
| आंध्र प्रदेश                | 21.0                       | 10.4                  | 18.9                       | 11.7                                      | 18.0                        |
| बिहार                       | 23.3                       | 44.7                  | 35.8                       | 23.9                                      | 39.8                        |
| छत्तीसगढ़                   | 21.0                       | 27.8                  | 27.3                       | 29.9                                      | 22.1                        |
| गुजरात                      | 29.0                       | 24.2                  | 38.5                       | 31.1                                      | 46.6                        |
| हरियाणा                     | 38.9                       | 17.8                  | 40.0                       | 29.4                                      | 35.4                        |
| झारखंड                      | 25.9                       | 33.9                  | 36.0                       | 28.2                                      | 22.1                        |
| कर्नाटक                     | 5.7                        | 1.2                   | 21.0                       | 16.1                                      | 16.6                        |
| केरल                        | 5.7                        | 16.4                  | 4.3                        | 12.9                                      | 4.1                         |
| मध्य प्रदेश                 | 12.9                       | 19.3                  | 37.7                       | 16.6                                      | 18.1                        |
| महाराष्ट्र                  | 29.1                       | 21.3                  | 27.7                       | 11.4                                      | 26.1                        |
| ओडिशा                       | 21.9                       | 23.6                  | 45.5                       | 19.2                                      | 35.1                        |
| पंजाब                       | 12.6                       | 23.4                  | 40.0                       | 10.1                                      | 35.4                        |
| राजस्थान                    | 8.4                        | 51.8                  | 34.0                       | 20.7                                      | 30.9                        |
| तमिलनाडु                    | 4.4                        | 28.0                  | 13.3                       | 25.3                                      | 17.2                        |
| तेलंगाना                    | 30.4                       | 13.0                  | 28.6                       | 20.5                                      | 23.8                        |
| उत्तर प्रदेश                | 28.3                       | 41.7                  | 50.6                       | 26.9                                      | 19.4                        |
| उत्तराखंड                   | 0.6                        | 19.6                  | 27.3                       | 9.4                                       | 22.0                        |
| पश्चिम बंगाल                | 40.7                       | 27.3                  | 40.3                       | 20.8                                      | 33.4                        |
| छोटे राज्य                  |                            |                       |                            |                                           |                             |
| अरुणाचल प्रदेश              | 28.0                       | 37.0                  | 20.0                       | 25.0                                      | 9.8                         |
| गोवा                        | 18.6                       | 28.9                  | 27.7                       | 20.0                                      | 26.1                        |
| हिमाचल प्रदेश               | 2.1                        | 14.6                  | 29.4                       | 10.6                                      | 14.9                        |
| मेघालय                      | 14.4                       | 12.3                  | 0.0                        | 43.4                                      | 12.2                        |
| मिज़ोरम                     | 38.2                       | 27.2                  | 20.0                       | 39.2                                      | 9.8                         |
| सिक्किम                     | -0.5                       | -20.1                 | 0.0                        | 34.3                                      | 15.3                        |
| त्रिपुरा                    | 25.6                       | 45.4                  | 0.0                        | 18.0                                      | 11.4                        |

नोट: राज्य अपने-अपने समूहों के भीतर वर्णमाला क्रम में हैं।

फुटनोट्स: 1. PSI में O स्वीकृत और वास्तविक करेक्शनल स्टाफ दिखाए गए हैं। 2. O DLSA सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न - राज्यसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 433; उच्च न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय), 2023-2024; प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), दिसंबर 2022; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

## चित्र 2: स्तंभों में रक्तियां

हमने 4 स्तंभों में 11 प्रमुख पदों पर रक्तियों का विश्लेषण किया। सभी आकारों के कई राज्यों में उनके स्वीकृत पदों के मुकाबले 25% से अधिक रक्तियां हैं।

■ 20% तक ■ 20% से 40% तक ■ 40% से अधिक

क्रानूनी  
सहायता  
वैकेंसी (%)

| बड़े और मध्यम आकार के राज्य | जेल स्टाफ वैकेंसी (%)     |                              |                                     |                                   |                                   | DLSA सचिव मार्च 2024 |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                             | अधिकारी<br>दिसंबर<br>2022 | काइर स्टाफ<br>दिसंबर<br>2022 | करेक्शनल<br>स्टाफ<br>दिसंबर<br>2022 | मेडिकल<br>स्टाफ<br>दिसंबर<br>2022 | मेडिकल<br>ऑफिसर<br>दिसंबर<br>2022 |                      |
| आंध्र प्रदेश                | 20.6                      | 27.9                         | NA <sup>1</sup>                     | 21.7                              | 4.5                               | 7.7                  |
| बिहार                       | 28.6                      | 44.9                         | 48.7                                | 42.7                              | 42.2                              | 2.7                  |
| छत्तीसगढ़                   | 65.6                      | 30.6                         | 49.5                                | 52.6                              | 58.7                              | 0.0                  |
| गुजरात                      | 42.5                      | 37.6                         | 44.4                                | 28.6                              | 15.2                              | 0.0                  |
| हरियाणा                     | 34.6                      | 30.5                         | 100.0                               | 50.5                              | 47.2                              | 0.0                  |
| झारखंड                      | 68.2                      | 64.8                         | 33.3                                | 55.8                              | 75.5                              | 0.0                  |
| कर्नाटक                     | 10.8                      | 23.8                         | 20.7                                | 63.8                              | 74.1                              | 0.0                  |
| केरल                        | 9.2                       | 17.8                         | 7.1                                 | 25.5                              | 16.7                              | 23.1                 |
| मध्य प्रदेश                 | 43.0                      | 12.2                         | 28.9                                | 35.6                              | 31.0                              | 2.0                  |
| महाराष्ट्र                  | 25.9                      | 10.5                         | 46.5                                | 30.0                              | 22.7                              | 0.0                  |
| ओडिशा                       | 14.2                      | 23.7                         | 44.7                                | 51.1                              | 62.8                              | 13.3                 |
| पंजाब                       | 28.8                      | 40.7                         | 100.0                               | 27.3                              | 19.0                              | 0.0                  |
| राजस्थान                    | 36.4                      | 25.0                         | 87.5                                | 17.8                              | 15.4                              | 0.0                  |
| तमिलनाडु                    | 11.4                      | 7.2                          | 19.6                                | 12.4                              | 25.6                              | 50.0                 |
| तेलंगाना                    | 8.8                       | 18.8                         | 0.0                                 | 58.5                              | 47.8                              | 0.0                  |
| उत्तर प्रदेश                | 25.4                      | 29.9                         | NA <sup>1</sup>                     | 54.2                              | 34.8                              | 0.0                  |
| उत्तराखंड                   | 69.0                      | 39.0                         | NA <sup>1</sup>                     | 62.5                              | 90.0                              | 0.0                  |
| पश्चिम बंगाल                | 20.5                      | 21.8                         | 30.4                                | 65.1                              | 73.5                              | 0.0                  |
| छोटे राज्य                  |                           |                              |                                     |                                   |                                   |                      |
| अरुणाचल प्रदेश              | 37.5                      | 2.3                          | NA <sup>1</sup>                     | 10.0                              | 0.0                               | 0.0                  |
| गोवा                        | 29.6                      | 34.3                         | 100.0                               | 84.6                              | 83.3                              | 0.0                  |
| हिमाचल प्रदेश               | 27.3                      | 19.3                         | 61.5                                | 60.9                              | 25.0                              | 0.0                  |
| मेघालय                      | 42.1                      | 26.6                         | 100.0                               | 5.0                               | 0.0                               | 45.5                 |
| मिज़ोरम                     | 21.2                      | 22.6                         | NA <sup>1</sup>                     | -8.3                              | 33.3                              | NA <sup>2</sup>      |
| सिक्किम                     | 51.9                      | 59.5                         | NA <sup>1</sup>                     | 28.6                              | 50.0                              | 100.0                |
| त्रिपुरा                    | 68.8                      | 54.7                         | 100.0                               | 28.6                              | 0.0                               | 12.5                 |

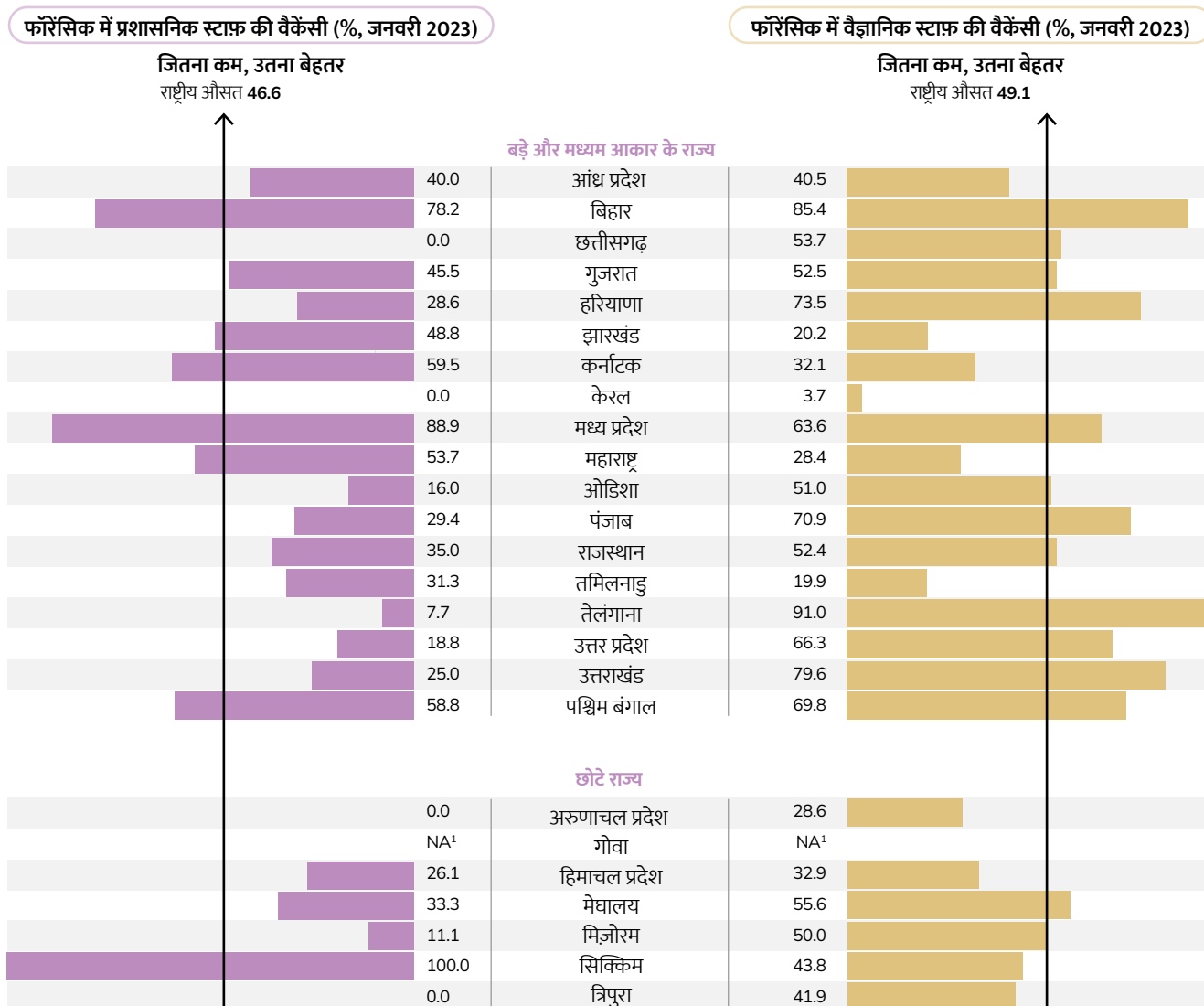
नोट: राज्य अपने-अपने समूहों के भीतर वर्णमाला क्रम में हैं।

फुटनोट्स: 1. PSI में O स्वीकृत और वास्तविक करेक्शनल स्टाफ दिखाए गए हैं। 2. O DLSE सचिवों को स्वीकृत और नियुक्त किया गया है।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), जनवरी 2023; न्याय विभाग; संसदीय प्रश्न - राज्यसभा आतंरिकित प्रश्न संख्या 433; उच्च न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट वार्षिक रिपोर्ट (खंड 2 - उच्च न्यायालय), 2023-2024; प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI), दिसंबर 2022; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

### चित्र 3: फॉरेंसिक में रक्तियां

लगभग 10,000 स्वीकृत पदों में से लगभग 50% रिक्त हैं। कुछ राज्यों जैसे तेलंगाना, हरियाणा और बिहार में 70% से अधिक वैज्ञानिक स्टाफ की कमी है।



फुटनोट्स: 1. क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और फॉरेंसिक यूनिट/जिला मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स (DMFUs) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत:

पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)

# रैंकिंग विविधता\*

\*राज्यों ने पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता के तहत 17 विविधता संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन किया? संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

## कलर गाइड

श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक  
(IJR 4 में)

17

## समूह

- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या)
- 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

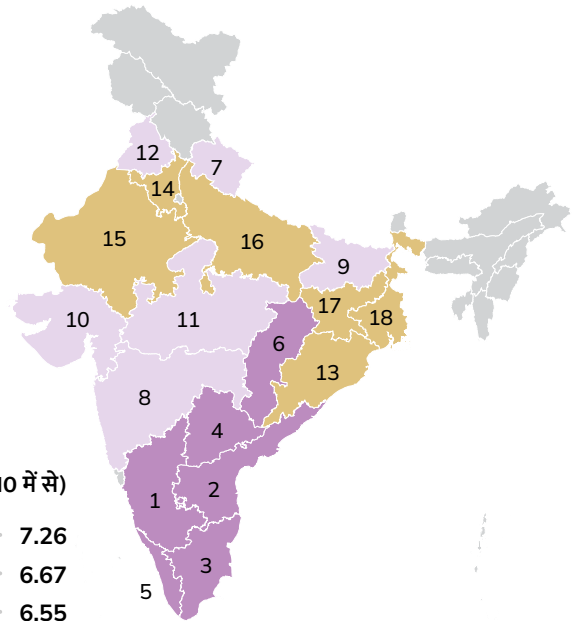
## मानचित्र 5: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

नया

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2             | 1             | 2             | 1             |
| 6             | 4             | 4             | 2             |
| 1             | 7             | 1             | 3             |
| 11            | 9             | 3             | 4             |
| 3             | 2             | 7             | 5             |
| 13            | 5             | 5             | 6             |
| 7             | 14            | 10            | 7             |
| 4             | 8             | 6             | 8             |
| 17            | 10            | 12            | 9             |
| 8             | 6             | 9             | 10            |
| 12            | 17            | 8             | 11            |
| 10            | 12            | 13            | 12            |
| 5             | 3             | 11            | 13            |
| 14            | 11            | 15            | 14            |
| 16            | 15            | 14            | 15            |
| 18            | 18            | 17            | 16            |
| 15            | 13            | 16            | 17            |
| 9             | 16            | 18            | 18            |

| राज्य        | स्कोर (10 में से) |
|--------------|-------------------|
| कर्नाटक      | 7.26              |
| आंध्र प्रदेश | 6.67              |
| तमिलनाडु     | 6.55              |
| तेलंगाना     | 6.02              |
| केरल         | 5.87              |
| छत्तीसगढ़    | 5.82              |
| उत्तराखंड    | 5.58              |
| महाराष्ट्र   | 5.31              |
| बिहार        | 5.30              |
| गुजरात       | 4.81              |
| मध्य प्रदेश  | 4.69              |
| पंजाब        | 4.68              |
| ओडिशा        | 4.49              |
| हरियाणा      | 3.90              |
| राजस्थान     | 3.46              |
| उत्तर प्रदेश | 3.38              |
| झारखंड       | 3.21              |
| पश्चिम बंगाल | 2.95              |



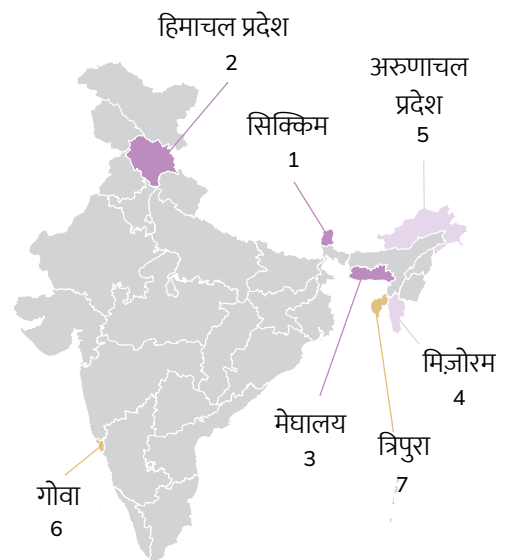
## चित्र 6: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

नया

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 2             | 1             | 1             |
| 6             | 3             | 5             | 2             |
| 4             | 6             | 3             | 3             |
| 2             | 1             | 2             | 4             |
| 5             | 5             | 4             | 5             |
| 3             | 4             | 6             | 6             |
| 7             | 7             | 7             | 7             |

| राज्य          | स्कोर (10 में से) |
|----------------|-------------------|
| सिक्किम        | 5.01              |
| हिमाचल प्रदेश  | 4.44              |
| मेघालय         | 4.30              |
| मिज़ोरम        | 4.23              |
| अरुणाचल प्रदेश | 3.31              |
| गोवा           | 2.98              |
| त्रिपुरा       | 1.98              |



## चित्र 4: न्यायपालिका में जातिगत प्रतिनिधित्व

अधिकांश राज्य SC और ST के लिए अपने कोटे को भरने में असफल रहे, जबकि OBC के लिए आरक्षित सीटों को भरने में बेहतर प्रदर्शन रहा।

SC और ST जजों का अधीनस्थ अदालतों में: आरक्षित और नियुक्ति का अनुपात (%)

| बड़े और मध्यम आकार के राज्य | अधीनस्थ अदालतों में जज: आरक्षित और नियुक्ति का अनुपात (%) |                  |                       |                  |                          |                  | IJR 3 और IJR 4 के बीच सुधार |           |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|                             | अनुसूचित जाति के जज                                       |                  | अनुसूचित जनजाति के जज |                  | अन्य पिछड़े वर्गों से जज |                  |                             |           |            |
|                             | IJR 3 (Jul 2022)                                          | IJR 4 (Feb 2025) | IJR 3 (Jul 2022)      | IJR 4 (Feb 2025) | IJR 3 (Jul 2022)         | IJR 4 (Feb 2025) | SC judges                   | ST judges | OBC judges |
| आंध्र प्रदेश                | 91                                                        | 111              | 69                    | 83               | 119                      | 138              | ↑                           | ↑         | ↑          |
| बिहार                       | 68                                                        | 74               | 77                    | 84               | 51                       | 60               | ↑                           | ↑         | ↑          |
| छत्तीसगढ़                   | 128                                                       | 92               | 79                    | 60               | 123                      | 97               | ↓                           | ↓         | ↓          |
| गुजरात                      | 108                                                       | 97               | 2                     | 2                | 55                       | 47               | ↓                           | ↓         | ↓          |
| हरियाणा                     | 56                                                        | 60               | NA <sup>3</sup>       | NA <sup>3</sup>  | 33                       | 40               | ↑                           |           | ↑          |
| झारखंड                      | 39                                                        | 21               | 35                    | 16               | 36                       | 16               | ↓                           | ↓         | ↓          |
| कर्नाटक                     | 85                                                        | 110              | 66                    | 116              | 75                       | 168              | ↑                           | ↑         | ↑          |
| केरल                        | 79                                                        | 84               | 9                     | 16               | 106                      | 112              | ↑                           | ↑         | ↑          |
| मध्य प्रदेश                 | 73                                                        | 82               | 56                    | 58               | 90                       | 112              | ↑                           | ↑         | ↑          |
| महाराष्ट्र                  | 80                                                        | 80               | 5                     | 5                | 120                      | 120              | ↔                           | ↔         | ↑          |
| ओडिशा                       | 11                                                        | 18               | 0                     | 2                | 48                       | 64               | ↑                           | ↑         | ↓          |
| पंजाब                       | 83                                                        | 92               | 0                     | 0                | 100                      | 104              | ↑                           | ↔         | ↑          |
| राजस्थान                    | 63                                                        | 69               | 58                    | 62               | 94                       | 76               | ↑                           | ↑         | ↓          |
| तमिलनाडु                    | 93                                                        | 86               | 68                    | 73               | 122                      | 113              | ↓                           | ↑         | ↑          |
| तेलंगाना                    | 82                                                        | 81               | 117                   | 119              | 125                      | 123              | ↓                           | ↑         | ↑          |
| उत्तर प्रदेश                | 64                                                        | 69               | 45                    | 53               | 83                       | 86               | ↑                           | ↑         | ↑          |
| उत्तराखंड                   | 83                                                        | 81               | 125                   | 101              | 96                       | 89               | ↓                           | ↓         | ↓          |
| पश्चिम बंगाल                | 0                                                         | 0                | 0                     | 0                | 0                        | 0                |                             |           |            |
| छोटे राज्य                  |                                                           |                  |                       |                  |                          |                  |                             |           |            |
| अरुणाचल प्रदेश              | NA <sup>1</sup>                                           | NA <sup>1</sup>  | 104                   | 91               | NA <sup>5</sup>          | NA <sup>5</sup>  |                             | ↓         |            |
| गोवा                        | 0                                                         | 0                | 33                    | 33               | 15                       | 15               | ↔                           | ↔         | ↔          |
| हिमाचल प्रदेश               | 57                                                        | 56               | 91                    | 78               | 38                       | 40               | ↓                           | ↓         | ↑          |
| मेघालय                      | NA <sup>2</sup>                                           | NA <sup>2</sup>  | 57                    | 64               | NA <sup>7</sup>          | NA <sup>7</sup>  |                             | ↑         |            |
| मिज़ोरम                     | NA <sup>1</sup>                                           | NA <sup>1</sup>  | NA <sup>4</sup>       | NA <sup>4</sup>  | NA <sup>6</sup>          | NA <sup>6</sup>  |                             |           |            |
| सिक्किम                     | 0                                                         | 0                | 66                    | 60               | 116                      | 100              | ↔                           | ↓         | ↓          |
| त्रिपुरा                    | 63                                                        | 57               | 61                    | 53               | NA <sup>6</sup>          | NA <sup>6</sup>  | ↓                           | ↓         |            |

NA- उपलब्ध नहीं

1. कोई SC आरक्षण नहीं और कोई SC जज नहीं। 2. SC जजों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं। 3. कोई ST आरक्षण नहीं और कोई ST जज नहीं। 4. ST जजों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं। 5. कोई OBC आरक्षण नहीं। 6. कोई OBC आरक्षण नहीं और कोई OBC जज नहीं। 7. OBC के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण स्वीकृत नहीं।

स्रोत: राज्यसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2354, 20 मार्च 2025।

उपलब्ध है: [https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354\\_GpF5iE.pdf?source=pqars](https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2354_GpF5iE.pdf?source=pqars)

## चित्र 5: स्तंभों में महिलाओं का हिस्सा

महिलाओं की न्यायपालिका में पहुंच बढ़ी है, लेकिन वे अभी भी निचले स्तरों पर सिमटी हुई हैं। पुलिस में भी यही पैटर्न देखा गया है, जहां महिलाएं केवल 8% हैं। 17 रैंक किए गए राज्यों में महिला अधिकारियों का प्रतिशत 10% से कम था।

|                             | महिलाओं की भागीदारी (%) |               |                  |                       |                           |                 |                           |                 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|                             | पुलिस                   |               | जेल              | न्यायपालिका           |                           | कानूनी सहायता   |                           |                 |
|                             | कुल पुलिस कर्मचारी      | पुलिस अधिकारी | कुल जेल कर्मचारी | न्यायाधीश (हाई कोर्ट) | न्यायाधीश (अधीनस्थ अदालत) | पैनल लॉयर्स     | PLVs (पैरालीगल वॉलन्टियर) | DLSA सचिव       |
| बड़े और मध्यम आकार के राज्य |                         |               |                  |                       |                           |                 |                           |                 |
| आंध्र प्रदेश                | 21.5                    | 5.2           | 8.4              | 16.7                  | 50.9                      | 20.7            | 33.6                      | 50.0            |
| बिहार                       | 23.7                    | 12.6          | 22.2             | 2.9                   | 26.6                      | 18.1            | 29.3                      | 22.2            |
| छत्तीसगढ़                   | 7.6                     | 9.3           | 11.1             | 6.3                   | 43.7                      | 22.2            | 37.8                      | 43.5            |
| गुजरात                      | 16.7                    | 10.0          | 7.3              | 25.0                  | 20.8                      | 26.9            | 46.4                      | NA <sup>2</sup> |
| हरियाणा                     | 9.2                     | 12.2          | 1.8              | 25.5                  | 40.7                      | 28.3            | 40.2                      | 27.3            |
| झारखंड                      | 7.4                     | 3.7           | 9.4              | 6.3                   | 26.5                      | 15.7            | 32.4                      | 25.0            |
| कर्नाटक                     | 8.9                     | 6.1           | 32.9             | 16.3                  | 37.0                      | 43.8            | 59.0                      | 20.0            |
| केरल                        | 8.3                     | 2.7           | 8.3              | 8.9                   | 48.8                      | 48.6            | 63.3                      | 60.0            |
| मध्य प्रदेश                 | 7.1                     | 9.2           | 17.8             | 3.0                   | 40.6                      | 15.6            | 37.7                      | 18.0            |
| महाराष्ट्र                  | 18.7                    | 6.8           | 15.4             | 16.2                  | 30.8                      | 34.5            | 40.8                      | 13.5            |
| ओडिशा                       | 11.0                    | 14.2          | 12.9             | 5.6                   | 47.7                      | 14.2            | 38.5                      | 69.2            |
| पंजाब                       | 11.1                    | 8.5           | 8.6              | 25.5                  | 51.9                      | 24.3            | 38.7                      | 63.6            |
| राजस्थान                    | 10.9                    | 7.5           | 19.6             | 9.1                   | 42.4                      | NA <sup>1</sup> | 26.7                      | 0.0             |
| तमिलनाडु                    | 20.7                    | 20.1          | 13.8             | 20.0                  | 40.8                      | 23.6            | 46.9                      | NA <sup>2</sup> |
| तेलंगाना                    | 8.7                     | 7.6           | 6.6              | 33.3                  | 55.3                      | 18.1            | 44.0                      | 23.5            |
| उत्तर प्रदेश                | 10.5                    | 4.6           | 10.8             | 3.8                   | 35.5                      | 14.6            | 28.4                      | 15.5            |
| उत्तराखंड                   | 12.2                    | 10.2          | 3.0              | 0.0                   | 40.7                      | 32.5            | 53.1                      | 30.8            |
| पश्चिम बंगाल                | 9.6                     | 4.2           | 10.9             | 14.0                  | 42.4                      | 25.0            | 38.4                      | 65.2            |
| छोटे राज्य                  |                         |               |                  |                       |                           |                 |                           |                 |
| अरुणाचल प्रदेश              | 11.3                    | 6.5           | 18.6             | 16.7                  | 33.3                      | 26.1            | 40.6                      | 40.0            |
| गोवा                        | 10.8                    | 16.3          | 1.2              | 16.2                  | 70.0                      | 50.5            | 78.4                      | 100.0           |
| हिमाचल प्रदेश               | 14.5                    | 5.5           | 8.7              | 8.3                   | 37.5                      | 26.5            | 44.2                      | 72.7            |
| मेघालय                      | 5.8                     | 8.9           | 16.1             | 0.0                   | 60.7                      | 62.6            | 41.5                      | 83.3            |
| मिज़ोरम                     | 8.2                     | 18.2          | 34.5             | 16.7                  | 51.1                      | 61.4            | 29.2                      | NA <sup>3</sup> |
| सिक्किम                     | 8.2                     | 6.4           | 25.3             | 33.3                  | 47.8                      | 44.7            | 75.8                      | NA <sup>3</sup> |
| त्रिपुरा                    | 5.7                     | 6.0           | 4.4              | 0.0                   | 35.8                      | 30.4            | 27.0                      | 57.1            |

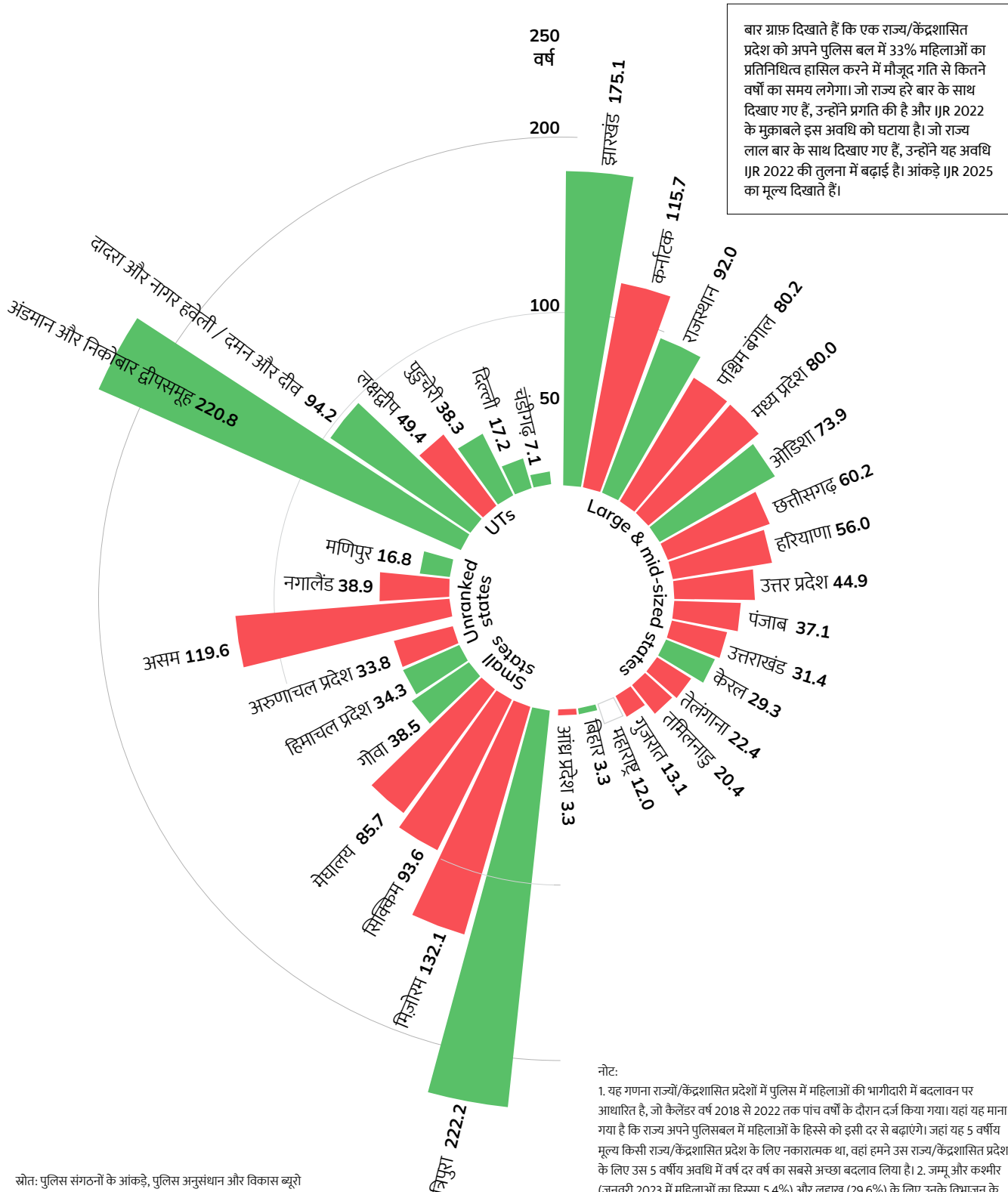
1. डेटा में कोई पैनल लॉयर नहीं है। 2. महिला सचिवों का डेटा उपलब्ध नहीं है। 3. डेटा में 0 DLSA सचिवों का अनुमोदन और नियुक्ति दिखाई गई है।

नोट: राज्यों को समूह में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिखाया गया है। 2. पुलिस संकेतकों के लिए डेटा जनवरी 2023 तक; जेल संकेतकों के लिए दिसंबर 2022 तक; न्यायाधीशों के लिए फरवरी 2025 तक; कानूनी सहायता संकेतकों के लिए मार्च 2024/सितंबर 2024 तक।

स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D); प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI); राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); संसदीय प्रश्न।

## चित्र 6: पुलिस में 33% महिलाओं के आने में कितना समय लगेगा?

IJR 2022 की तुलना में, 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने IJR 2025 में अपने पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मामूली रूप से बढ़ाया है। वर्तमान दरों के हिसाब से, आंध्र प्रदेश और बिहार पुलिस में लगभग तीन वर्षों में 33% महिलाएं हो सकती हैं। झारखंड, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को इस कोटे को पूरा करने में लगभग 200 वर्षों का समय लगेगा, यानी उन्हें यह लक्ष्य पूरा करने में कई पीढ़ियां लगेगी।



स्रोत: पुलिस संगठनों के आंकड़े, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D)

नोट:

1. यह गणना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में बदलाव पर आधारित है, जो कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 तक पांच वर्षों के दौरान दर्ज किया गया। यहां यह माना गया है कि राज्य अपने पुलिसबल में महिलाओं के हिस्से को इसी दर से बढ़ाएंगे। जहां यह 5 वर्षीय मूल्य किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए नकारात्मक था, वहां हमने उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए उस 5 वर्षीय अवधि में वर्ष दर वर्ष का सबसे अच्छा बदलाव लिया है। 2. जम्मू और कश्मीर (जनवरी 2023 में महिलाओं का हिस्सा 5.4%) और लद्दाख (29.6%) के लिए उनके विभाजन के कारण 5 वर्षीय रुझान उपलब्ध नहीं हैं।

## चित्र 7: न्याय प्रणाली के लिए बजट

नीचे दिया गया ग्राफ 5 वर्षों में पुलिस, जेल और न्यायपालिका पर खर्च में औसत वृद्धि दर्शाता है, और यह भी बताता है कि क्या यह राज्य के कुल बजट व्यय में वृद्धि के साथ मेल खाता है। 25 रैंक किए गए राज्यों में, पुलिस बजट की वृद्धि कुल बजट में वृद्धि से 13 राज्यों में पीछे है, जेल बजट 9 राज्यों में और न्यायपालिका बजट 7 राज्यों में पीछे है।

■ स्तंभ राज्य बजट में वृद्धि से आगे है  
■ स्तंभ राज्य बजट में वृद्धि से पीछे है

2018-19 और 2022-23 के बीच खर्च में औसत परिवर्तन (%)

खर्च में अंतर: स्तंभ बनाम राज्य  
(प्रतिशत अंक)

| बड़े और मध्यम आकार के राज्य | कुल राज्य | पुलिस | जेल   | न्यायपालिका | पुलिस           | जेल             | न्यायपालिका     |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| आंध्र प्रदेश                | 9.4       | 7.2   | 3.9   | 9.7         | -2.1            | -5.4            | 0.4             |
| बिहार                       | 10.7      | 10.6  | 15.0  | 10.1        | -0.1            | 4.3             | -0.6            |
| छत्तीसगढ़                   | 8.5       | 9.1   | 14.2  | 12.0        | 0.6             | 5.7             | 3.5             |
| गुजरात                      | 8.4       | 6.2   | 7.3   | 7.7         | -2.2            | -1.0            | -0.6            |
| हरियाणा                     | 6.6       | 8.7   | 14.7  | 9.2         | 2.1             | 8.1             | 2.6             |
| झारखंड                      | 5.2       | 8.1   | 11.7  | 10.5        | 2.8             | 6.5             | 5.2             |
| कर्नाटक                     | 9.6       | 13.5  | 28.0  | 15.7        | 3.8             | 18.4            | 6.1             |
| केरल                        | 8.0       | 6.1   | 4.2   | 8.8         | -1.8            | -3.8            | 0.9             |
| मध्य प्रदेश                 | 8.7       | 7.2   | 9.8   | 11.9        | -1.5            | 1.1             | 3.1             |
| महाराष्ट्र                  | 12.0      | 12.6  | 12.8  | 14.4        | 0.6             | 0.8             | 2.4             |
| ओडिशा                       | 12.5      | 6.4   | 9.5   | 15.9        | -6.1            | -3.1            | 3.4             |
| पंजाब                       | 13.5      | 8.5   | 8.2   | 11.9        | -5.0            | -5.3            | -1.7            |
| राजस्थान                    | 8.4       | 11.1  | 9.6   | 14.5        | 2.7             | 1.2             | 6.1             |
| तमिलनाडु                    | 11.3      | 10.3  | 10.8  | 10.2        | -1.0            | -0.5            | -1.0            |
| तेलंगाना                    | 9.5       | 10.0  | 8.5   | 12.2        | 0.4             | -1.0            | 2.6             |
| उत्तर प्रदेश                | 9.6       | 13.3  | 10.7  | 10.1        | 3.7             | 1.1             | 0.6             |
| उत्तराखंड                   | 8.3       | 5.8   | 263.1 | 12.1        | -2.5            | 254.7           | 3.8             |
| पश्चिम बंगाल                | NA        | NA    | 8.1   | NA          | NA <sup>1</sup> | -1.0            | NA <sup>1</sup> |
| छोटे राज्य                  |           |       |       |             |                 |                 |                 |
| अरुणाचल प्रदेश              | 13.6      | 9.6   | 26.7  | 20.1        | -4.0            | 13.2            | 6.5             |
| गोवा                        | NA        | NA    | 4.5   | NA          | NA <sup>1</sup> | NA <sup>2</sup> | NA <sup>1</sup> |
| हिमाचल प्रदेश               | 10.5      | 8.4   | 11.2  | 8.1         | -2.0            | 0.8             | -2.4            |
| मेघालय                      | 14.3      | 10.0  | 17.2  | 13.5        | -4.3            | 2.9             | -0.7            |
| मिज़ोरम                     | 5.7       | 7.1   | -17.3 | 13.2        | 1.4             | -23.1           | 7.4             |
| सिक्किम                     | 12.4      | 13.2  | 35.1  | 17.0        | 0.8             | 22.8            | 4.6             |
| त्रिपुरा                    | 10.3      | 6.7   | 37.9  | 3.9         | -3.6            | 27.6            | -6.4            |

नोट: क्लस्टर के भीतर राज्यों को वर्णानुक्रम में रखा गया है।

फुटनोट्स: 1. 2021-22 और 2022-23 के लिए बजट डेटा उपलब्ध नहीं है। 2. 2022-23 के लिए कुल व्यय उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

# इरादों की रैंकिंग\*

\* पुलिस, जेल और न्यायपालिका के क्षेत्र में 23 संकेतकों के 5 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रुझान दिखाए गए हैं। संकेतक पृष्ठ 32 पर सूचीबद्ध हैं।

## कलर गाइड

श्रेष्ठ मध्य खराब

संकेतक  
(IJR 4 में)

19

## समूह

- 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या)
- 7 छोटे आकार के राज्य (1 करोड़ तक जनसंख्या)

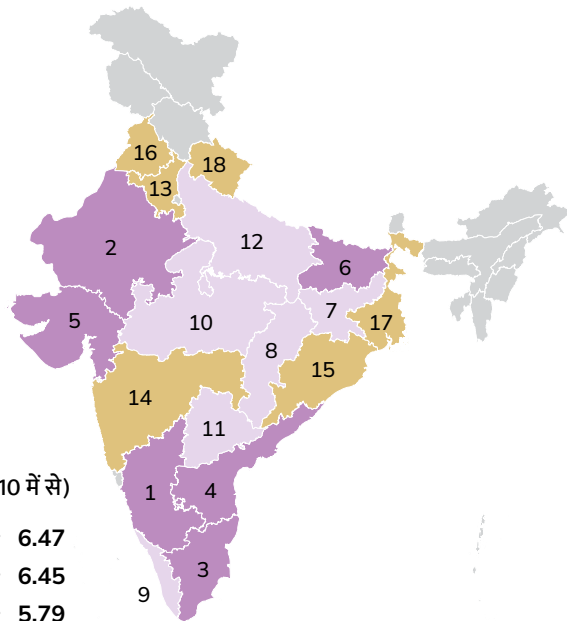
## मानचित्र 7: बड़े और मध्यम आकार के राज्य

रैंक (18 में से)

नया

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14            | 16            | 1             | 1             |
| 10            | 5             | 14            | 2             |
| 7             | 1             | 6             | 3             |
| NA            | 6             | 5             | 4             |
| 3             | 3             | 4             | 5             |
| 13            | 4             | 3             | 6             |
| 15            | 7             | 2             | 7             |
| 6             | 2             | 10            | 8             |
| 12            | 15            | 12            | 9             |
| 11            | 17            | 7             | 10            |
| NA            | 18            | 9             | 11            |
| 9             | 12            | 8             | 12            |
| 4             | 14            | 18            | 13            |
| 2             | 9             | 17            | 14            |
| 8             | 11            | 11            | 15            |
| 5             | 8             | 15            | 16            |
| 1             | 10            | 13            | 17            |
| 16            | 13            | 16            | 18            |

| राज्य        | स्कोर (10 में से) |
|--------------|-------------------|
| कर्नाटक      | 6.47              |
| राजस्थान     | 6.45              |
| तमिलनाडु     | 5.79              |
| आंध्र प्रदेश | 5.78              |
| गुजरात       | 5.78              |
| बिहार        | 5.66              |
| झारखंड       | 5.66              |
| छत्तीसगढ़    | 5.65              |
| केरल         | 5.59              |
| मध्य प्रदेश  | 5.50              |
| तेलंगाना     | 5.32              |
| उत्तर प्रदेश | 5.03              |
| हरियाणा      | 4.64              |
| महाराष्ट्र   | 4.56              |
| ओडिशा        | 4.28              |
| पंजाब        | 4.19              |
| पश्चिम बंगाल | 3.35              |
| उत्तराखंड    | 3.03              |



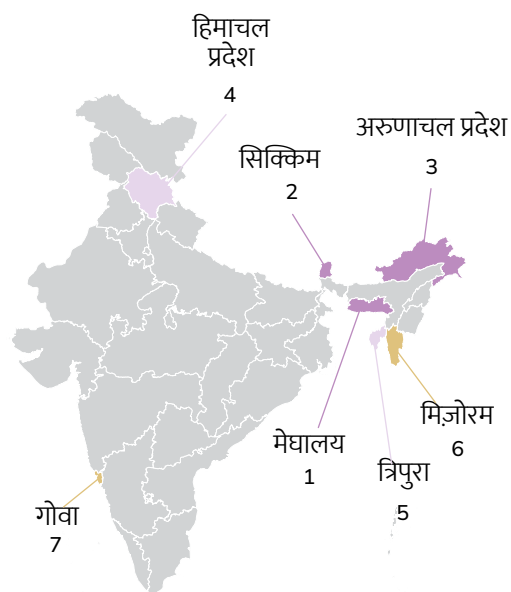
## मानचित्र 8: छोटे राज्य

रैंक (7 में से)

नया

| IJR 1<br>2019 | IJR 2<br>2020 | IJR 3<br>2022 | IJR 4<br>2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2             | 7             | 1             | 1             |
| 4             | 5             | 3             | 2             |
| 7             | 4             | 2             | 3             |
| 3             | 1             | 6             | 4             |
| 5             | 3             | 5             | 5             |
| 6             | 6             | 4             | 6             |
| 1             | 2             | 7             | 7             |

| राज्य          | स्कोर (10 में से) |
|----------------|-------------------|
| मेघालय         | 5.64              |
| सिक्किम        | 5.33              |
| अरुणाचल प्रदेश | 5.24              |
| हिमाचल प्रदेश  | 4.81              |
| त्रिपुरा       | 3.63              |
| मिजोरम         | 3.49              |
| गोवा           | 2.89              |

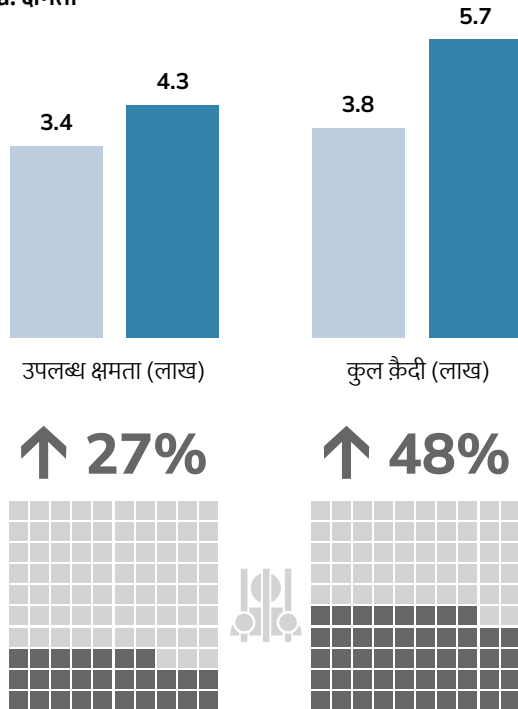


नोट: स्कोर दशमलव के दो अंकों तक दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों का स्कोर समान है, लेकिन दशमलव का तीसरा अंक बढ़ा होने से आंध्र प्रदेश को गुजरात से (5.785 बनाम 5.777) और बिहार को झारखंड से (5.661 बनाम 5.655) उच्च स्थान प्राप्त है।

## चित्र 8: एक दशक में भारतीय जेलें

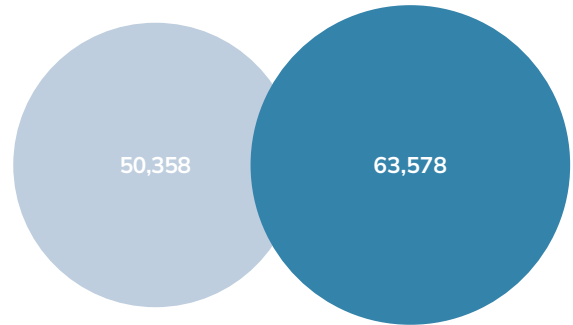
■ 2012 ■ 2022

### 5a. क्षमता

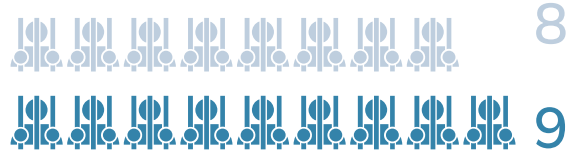


### 5b. स्टाफ़

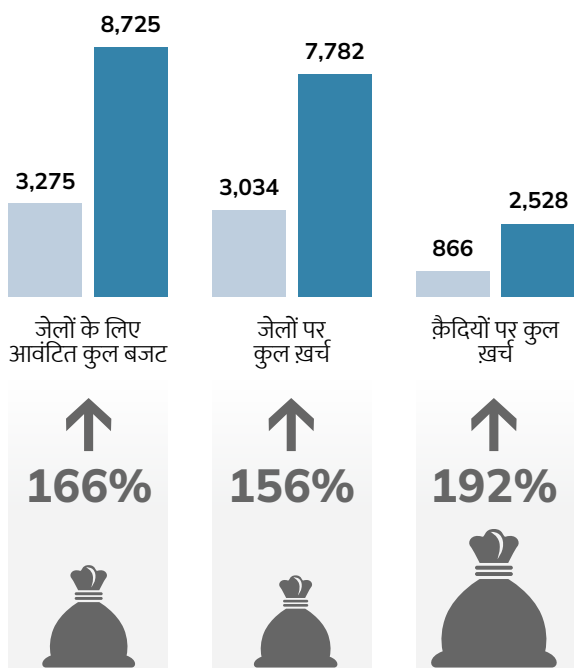
कुल जेल स्टाफ़ (नियुक्त)



कैदी प्रति स्टाफ़

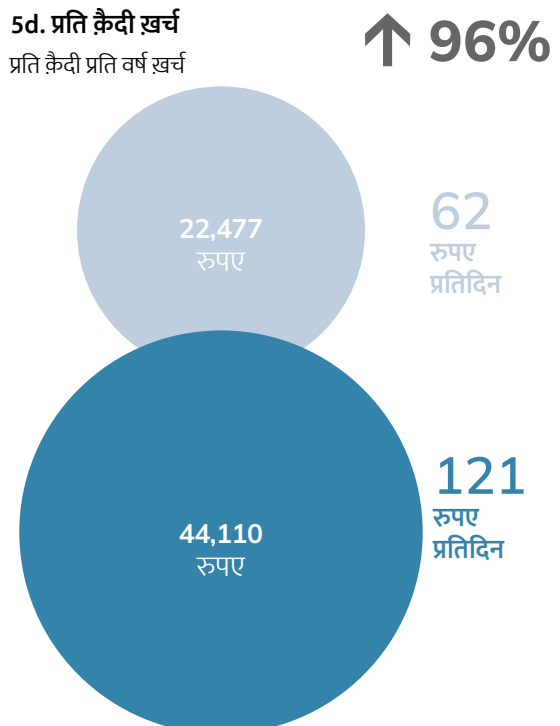


### 5c. बजट (करोड़ रु)



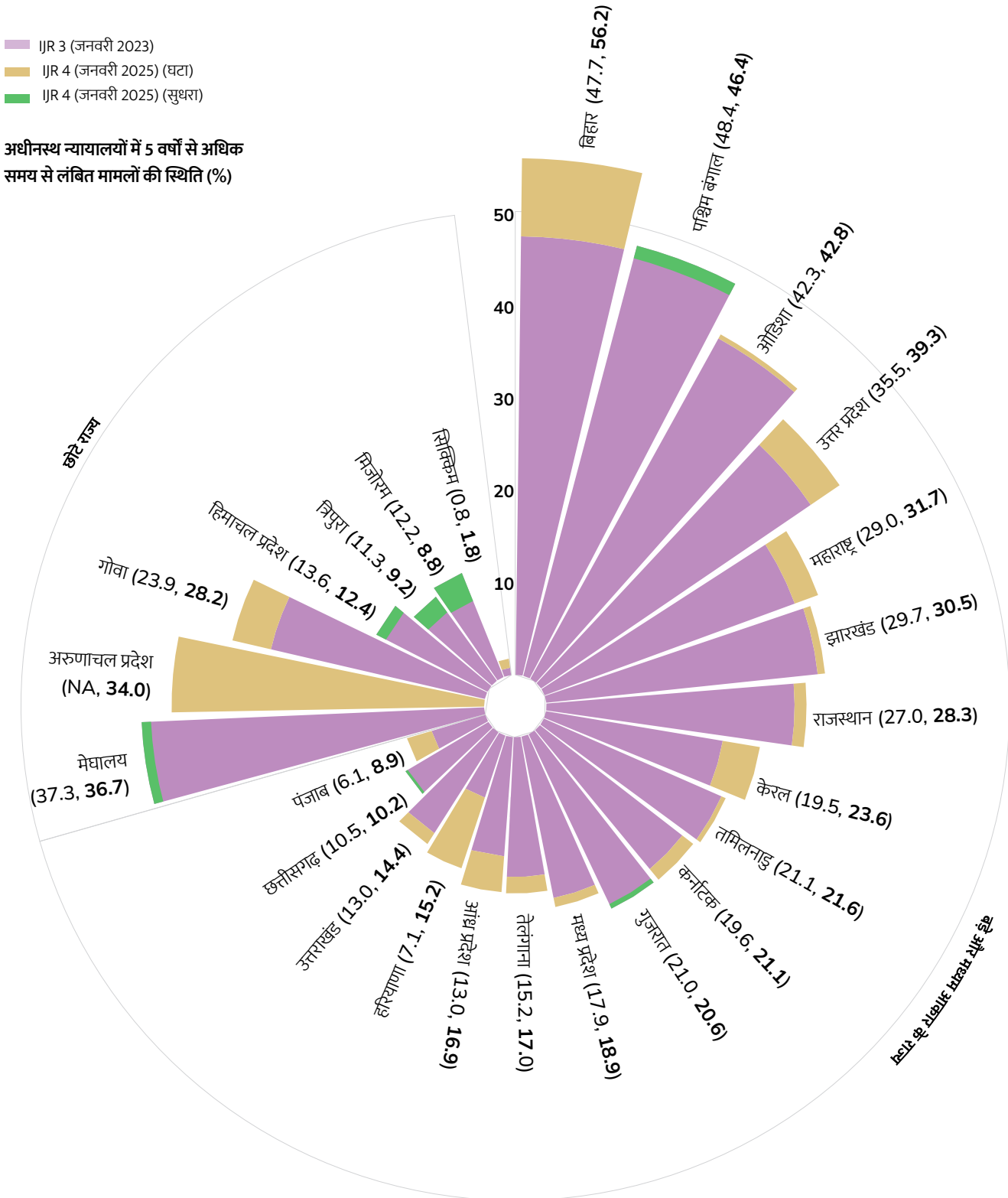
### 5d. प्रति कैदी खर्च

प्रति कैदी प्रति वर्ष खर्च



## चित्र 9: अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले

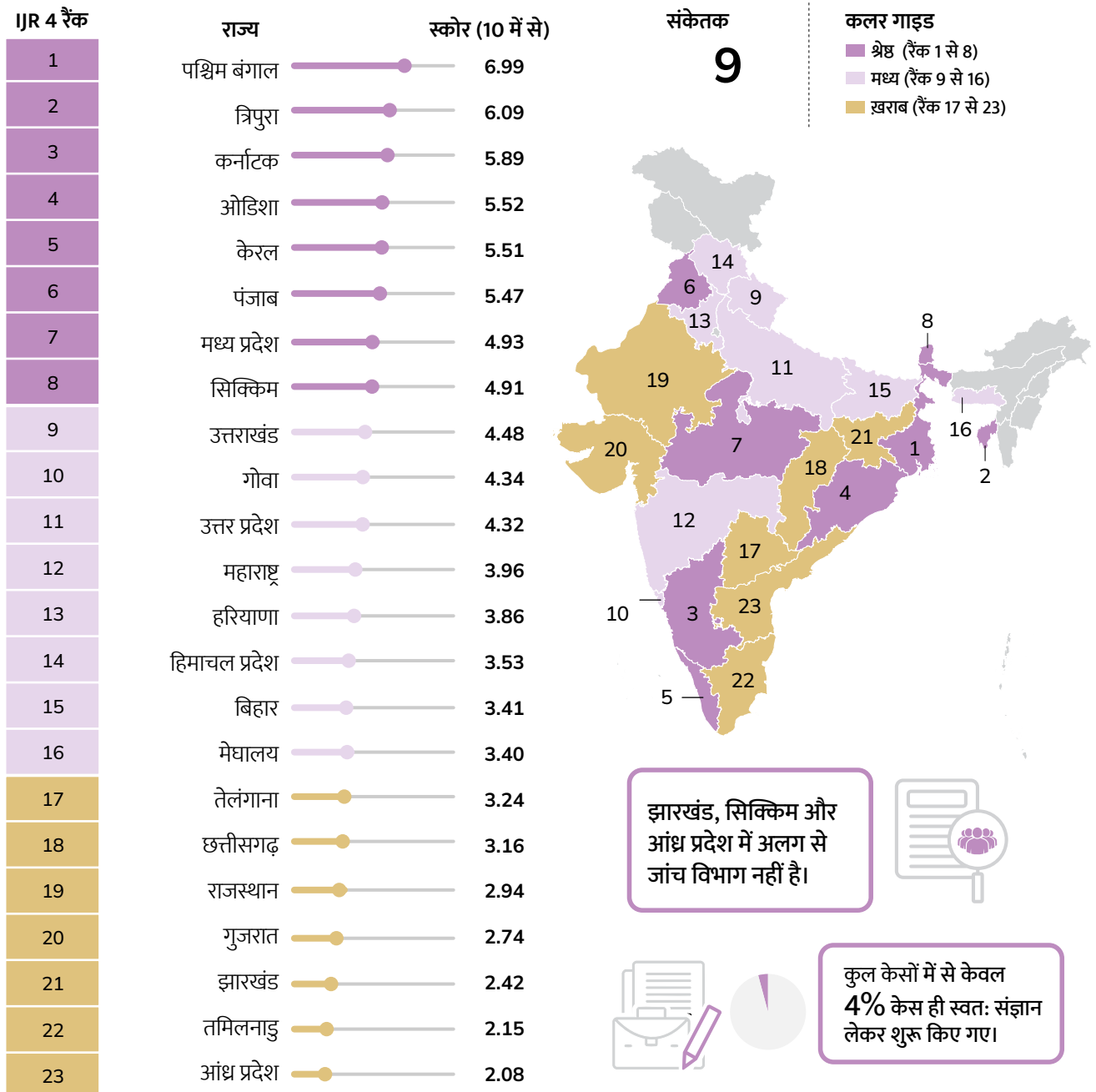
16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, पिछले 2 वर्षों में अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 10 राज्यों में, ऐसे मामले कुल लंबित मामलों का 25% से अधिक हैं। हरे और भूरे रंग की पट्टियां यह दर्शाती हैं कि IJR 2022 की तुलना में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का हिस्सा राज्यों में किस हद तक कम हुआ है या बढ़ा है।



नोट: 1. राज्यों को संबंधित समूह में IJR 4 के मानकों के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है। 2. अरुणाचल प्रदेश (छोटे राज्य) के लिए IJR 3 में डेटा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

## चित्र 9: राज्य मानवाधिकार आयोग रैंकिंग



# सुझाव

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>सभी पुलिस स्टेशनों और अदालतों में 24*7 क़ानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित किया जाए और समुदायों में पैरालीगल वॉलनटियर्स की उपस्थिति बढ़ाई जाए।                                                         | 7<br>सभी श्रेणियों के क़ैदियों की रिहाई के लिए UTRC के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और इन समितियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाए।                           |
| 2<br>सुप्रीम कोर्ट का 'परमवीर सिंह सैनी' केस में दिया फ़ैसला पूरी तरह से लागू हो, जिसमें हर पुलिस स्टेशन में समुचित CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है, ताकि पुलिसकर्मियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगे। | 8<br>SHRCs को संसाधन संपन्न किया जाए और आयोग समुदाय से सक्रिय रूप से संपर्क करें।                                                                             |
| 3<br>ख़ाली पदों को तत्काल भरा जाए।                                                                                                                                                                                   | 9<br>विवादों के समाधान के एक प्रभावी उपकरण के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा दें और इसके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को मज़बूत करें।              |
| 4<br>न्याय व्यवस्था के शुरुआती कर्मचारियों के स्तर पर संसाधन बढ़ाए जाएं।                                                                                                                                             | 10<br>न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं (विकलांगों के आंकड़े समेत) पर समय-समय पर, प्रमाणित और समग्र आंकड़े जारी करें ताकि नीतिगत सिफ़ारिशें सुनिश्चित हो सकें। |
| 5<br>न्याय व्यवस्था के सभी स्तंभों में जाति, लैंगिक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से विविधता बढ़ाएं।                                                                                              | 11<br>न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था को एक मूलभूत सेवा माना जाए और इसे सुसज्जित, विस्तारित और सशक्त बनाएं ताकि हर समय प्रभावी न्याय दिया जा सके।             |
| 6<br>प्रशिक्षण को महत्ता दी जाए। सभी प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय और मानव संसाधनों को प्राथमिकता दी जाए।                                                                                                          |                                                                                                                                                               |

# संकेतकों की सूची

## रैंकिंग विविधता

### पुलिस

पुलिस में महिलाओं का हिस्सा (% , जनवरी 2023)  
अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सा (% , जनवरी 2023)  
SC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)  
SC कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)  
ST अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)  
ST कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)  
OBC अधिकारियों की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)  
OBC कॉन्स्टेबल की नियुक्ति और आरक्षित का अनुपात (% , जनवरी 2023)

### जेल

जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (% , दिसंबर 2022)

### न्यायपालिका

हाई कोर्ट में महिला जज (% , फरवरी 2025)  
अधीनस्थ न्यायालय में महिला जज (% , फरवरी 2025)  
SC जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (% , फरवरी 2025)  
ST जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (% , फरवरी 2025)  
OBC जज, नियुक्त और आरक्षित (अधीनस्थ न्यायालय) (% , फरवरी 2025)

### कानूनी सहायता

महिला सचिवों का हिस्सा (% , मार्च 2024)  
पैनल लॉयर्स में महिलाओं का हिस्सा (% , सितंबर 2024)  
महिला PLVs (% , सितंबर 2024)

## मानव संसाधन रैंकिंग

### पुलिस

कॉन्स्टेबल की रक्ति (% , जनवरी 2023)  
अधिकारियों की रक्ति (% , जनवरी 2023)  
सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2023)  
फॉरेंसिक्स में प्रशासनिक कर्मचारियों की रक्ति (% , जनवरी 2023)  
फॉरेंसिक्स में वैज्ञानिक कर्मचारियों की रक्ति (% , जनवरी 2023)

### जेल

अधिकारियों की रक्ति (% , दिसंबर 2022)  
काडर स्टाफ की रक्ति (% , दिसंबर 2022)  
करेक्शनल स्टाफ की रक्ति (% , दिसंबर 2022)  
मेडिकल स्टाफ की रक्ति (% , दिसंबर 2022)  
चिकित्सा अधिकारियों की रक्ति (% , दिसंबर 2022)  
प्रशिक्षित कर्मचारी (% , 2022)

## न्यायपालिका

जनसंख्या प्रति हाई कोर्ट जज (फरवरी 2025)  
जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय जज (जनवरी 2025)  
हाई कोर्ट जज वैकेंसी (% , फरवरी 2025)  
अधीनस्थ न्यायालय जज वैकेंसी (% , जनवरी 2025)  
हाई कोर्ट स्टाफ वैकेंसी (% , जून 2024)

## कानूनी सहायता

DLSAs में स्वीकृत सचिवों का प्रतिशत (% , मार्च 2024)  
DLSA सचिवों की वैकेंसी (% , मार्च 2024)  
PLVs प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, सितंबर 2024)

## इरादों की रैंकिंग

### पुलिस

कुल पुलिस में महिलाओं का हिस्सा (% , CY '18-'22)  
कुल अधिकारियों में महिला अधिकारियों का हिस्सा (% , CY '18-'22)  
कॉन्स्टेबल वैकेंसी (% , CY '18-'22)  
अधिकारियों की वैकेंसी (प्रतिशत अंक, CY '18-'22)  
खर्च में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, FY '19-'23)

### जेल

अधिकारियों की रक्ति (% , CY '18-'22)  
काडर स्टाफ की रक्ति (% , CY '18-'22)  
जेल कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा (% , CY '18-'22)  
प्रत्येक जेल अधिकारी पर कैदी (% , CY '18-'22)  
प्रत्येक काडर स्टाफ पर कैदी (% , CY '18-'22)  
विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (% , CY '18-'22)  
प्रति कैदी खर्च (% , FY '19-'23)  
जेल बजट का उपयोग (% , FY '19-'23)  
जेलों पर राज्य के खर्च से अंतर (% , FY '19-'23)

## न्यायपालिका

प्रत्येक हाई कोर्ट जज पर लंबित मामले (% , CY '20-'24)  
प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय जज पर लंबित मामले (% , CY '20-'24)  
कुल लंबित मामले (हाई कोर्ट) (% , CY '20-'24)  
कुल लंबित मामले (अधीनस्थ न्यायालय) (% , CY '20-'24)  
जजों की रक्ति (हाई कोर्ट) (% , CY '20-'24)  
जजों की रक्ति (अधीनस्थ न्यायालय) (% , CY '20-'24)  
केस क्लियरेंस रेट (हाई कोर्ट) (% , CY '20-'24)  
केस क्लियरेंस रेट (अधीनस्थ न्यायालय) (% , CY '20-'24)  
न्यायपालिका और राज्य के खर्च से अंतर (% , FY '19-'23)

## इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के विषय में

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 भारत का पहला और एकमात्र व्यापक गणनात्मक सूचकांक है जो सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके औपचारिक न्याय व्यवस्था के 'स्तंभों' की क्षमता का मूल्यांकन करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार, और विविधता जैसे गणनात्मक मापदंडों पर किया गया है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से शुरू किया गया एक साझा प्रयास है।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए  
<https://indiajusticereport.org> पर क्लिक करें।

ईमेल आईडी: [indiajusticereport@gmail.com](mailto:indiajusticereport@gmail.com)

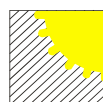
फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403



Centre for  
Social Justice



CHRI  
Commonwealth Human Rights Initiative  
working for the protection and promotion of human rights in  
the countries of the Commonwealth



Data/design  
partner

How  
INDIA  
Lives

Supported by:

Ravi  
Venkatesan



Tree of Life  
Foundation



TATA TRUSTS

Frappe

Cyrus  
Guzder

J.T. Pathak  
Trust